



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252136
CG-DL-E-15022024-252136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945

No. 96]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/3/29/0089/2017-आरईजी-पीएफ.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (ड.) (ड), (ढ), (ण) और (त) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में, समय-समय पर यथा संशोधित (इसके पश्चात 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

I. मुख्य विनियमों के विनियम 1 के उप-विनियम (1) में, विनियम के उद्देश्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"विनियमों का उद्देश्य पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है।"

II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ख) "कारोबारी दिन" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ख)"कारोबारी दिन" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन व्यवसाय करने के लिए निम्नलिखित सभी कार्य करते हों -

(i) न्यासी बैंक की नामित शाखा;

(ii) इक्विटी और बांड बाजार के लिए स्टॉक एक्सचेंज; और

(iii) सरकारी प्रतिभूति बाजार;"

ii. खंड (ग) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ग) "अनुपालन अधिकारी" का अर्थ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, विनिर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन के लिए पेंशन निधि के निदेशक मंडल द्वारा नामित पेंशन निधि के एक कर्मचारी से है;"

iii. खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(गग) "पेंशन निधि के मुख्य कर्मचारीगण" में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, संचालन प्रमुख और अनुपालन अधिकारी, निदेशक मंडल द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति और पेंशन निधि के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नामित करने का निर्देश दिया जा सकता है; शामिल होंगे।"

iv. खंड (घ) हट जाएगा;

v. खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(ड.क) इस विनियमन के प्रयोजन के लिए "पेंशन स्कीम" का अर्थ अधिनियम की धारा 12 के तहत परिभाषित पेंशन स्कीम से होगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा अभिशासित अटल पेंशन योजना शामिल है;"

vi. खंड (च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(च)(i) "पेंशन निधि के प्रधान अधिकारी" का अर्थ है निदेशक मंडल, मुख्य कर्मचारीगण और अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल अथवा कोई एक या एक से अधिक निदेशक कार्य करते हैं;

(ii) "प्रायोजक के प्रधान अधिकारी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से होगा;"

vii. खंड (छ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(छ) "नेटवर्थ (शुद्ध मालियत)" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के तहत दी गयी परिभाषा से होगा;"

viii. खंड (ज) 'प्रायोजक' की परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ज) "प्रायोजक" का अर्थ वह कॉर्पोरेट निकाय है जो पेंशन निधि में प्रदत्त इक्विटी पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखता हो और प्रायोजक के लिए निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता हो;"

III. मुख्य विनियमों के विनियम 2 का उप-विनियम (2) हट जाएगा;

IV. मुख्य विनियमों का विनियम 3 हट जाएगा;

V. मुख्य विनियमों के विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“4. पंजीकरण हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क.- (1) पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने का इच्छुक आवेदक, प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने पर निम्नलिखित को पूरा करने पर आवेदन जमा कर सकता है :

(क) इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता शर्तें; और

(ख) चयन प्रक्रिया शुरू करने के दौरान निर्धारित की गई अन्य शर्तें ।

(2) नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में दिए गए प्रारूप में लागू कर और लेवी के साथ-साथ, अनुसूची III में निर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन शुल्क सहित आवेदन किया जाएगा।”

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“5. अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन.- (1) विनियम के तहत कोई आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है :

(क) जो अपूर्ण है और जिसमें प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना नहीं है ;

(ख) अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है;

(ग) गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति का है अथवा वस्तुगत सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है;

(घ) आवेदन की तिथि पर, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड और इस प्रकार शुरू की गई चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है; या

(ङ) प्राधिकरण की दृष्टि में यह जनता या अभिदाताओं या पेंशन स्कीमों के व्यवस्थित विकास के हित में नहीं है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आधारों पर किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण आवेदक को दिए गए समय के भीतर कमियों को दूर करने के लिए सूचित कर सकता है।

(3) जहां आवेदक गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करता है या वस्तुगत सूचना को प्रकट करने से चूक जाता है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष की अवधि तक किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।”

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“6. सूचना या स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करना.- (1) प्राधिकरण, आवेदक के आवेदन पर विचार करने के लिए प्रदत्त समयसीमा में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

(2) आवेदक को उस प्रदत्त समयसीमा के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण को प्रस्तुति देना भी शामिल है।

(3) आवेदन के लंबित रहने के दौरान दी गई सूचना में किसी भी वस्तुगत परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।”

VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“7. सूचना का सत्यापन.- (1) आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण, दस्तावेजों, कार्यालय स्थान, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के भौतिक सत्यापन सहित आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना को सत्यापित कर सकता है, जो आवेदक के पास उपलब्ध होना आवश्यक है।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को या अपने किसी अधिकारी को निर्देश दे सकता है।”

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“8. पात्रता मानदंड.- (1) आवेदक को अपने आवेदन की तिथि पर, पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा-

(क) निधि प्रबंधन (इक्विटी और डेब्ट दोनों को मिलाकर) में कम से कम पांच साल का अनुभव हो;

(ख) वित्तीय व्यवसाय गतिविधि में कार्यरत हो और भारतीय रिज़र्व बैंक, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित हो;

(ग) इच्छित प्रायोजक संयुक्त उद्यम आवेदन करने के पात्र हैं, यदि एक या एक से अधिक संयुक्त उद्यम भागीदार आवेदन करने की तिथि पर प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हों। आवेदन करते समय आवेदक को इच्छित संयुक्त उद्यम के भागीदारों को इस बाबत एक बाध्यकारी समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा कि प्रायोजक के रूप में आवेदन स्वीकार किए जाने पर पेंशन निधि का गठन किया जाएगा;

(घ) व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से पिछले पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन कम से कम पचास करोड़ रुपये का सकारात्मक नेट वर्थ (शुद्ध मालियत) और आवेदन की तिथि पर कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी पूंजी होनी चाहिए;

(ङ) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में कर पश्चात लाभ हो और पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में कोई नकद हानि न हो।

स्पष्टीकरण.- नकद हानि अर्थात् (i) यदि कोई कंपनी लेखांकन मानकों (ए.एस.) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है, तो लाभ-हानि के विवरणों में दर्शाए गए कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि के आंकड़ों को लेनदेन के प्रभावों के लिए गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन जैसे मूल्यहास, परिशोधन, और हानि-क्षति या उत्क्रमण समायोजित किया जाता है।

(ii) भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनी के मामले में, लाभ-हानि के विवरणों में दर्शाए गए लाभ/हानि के आंकड़ों (अन्य व्यापक आय को छोड़कर) को लेनदेन के प्रभावों के लिए गैर-नकद प्रकृति जैसे मूल्यहास, परिशोधन और हानि-क्षति या उत्क्रमण समायोजित किया जाता है।

(च) प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया के अतिरिक्त नियमों और शर्तों को पूरा करना; और

(छ) आवेदक और उसके प्रमुख अधिकारी अनुसूची II में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हैं।

(2) पेंशन निधि का प्रायोजक, प्राधिकरण द्वारा अनुमति दिए जाने पर :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पेंशन निधि को कंपनी के रूप में शामिल करेगा और इसके नाम में 'पेंशन निधि' शामिल करेगा।

परन्तु प्राधिकरण में पहले से पंजीकृत पेंशन निधि, विनियमों में इन संशोधनों की अधिसूचना की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन करेगा;

(ख) पेंशन निधि में हर समय न्यूनतम पचास करोड़ रुपये का नेट वर्थ (शुद्ध मालियत) बनाए रखना सुनिश्चित करेगा;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा या तो स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों अथवा अपने नामितियों के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी संघ द्वारा, चाहे वह भारत के बाहर किसी देश के किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हो अथवा नहीं, इक्विटी शेयरों की सकल धारिता पेंशन निधि में उस निधि की प्रदत्त पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक न हो या वह प्रतिशत जिसे बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के तहत भारतीय बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो भी अधिक हो। इस उद्देश्य के लिए विदेशी निवेश की गणना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों या उक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के अनुसार होगी;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि में अधिनियम के अनुसार न्यूनतम सुनिश्चित लाभ स्कीम को प्रदान करने की क्षमता हो;

(ङ) सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि के कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक, स्वतंत्र निदेशक हैं;

(च) सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी भी अन्य पेंशन निधि में सीधे या अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से किसी भी इक्विटी हिस्सेदारी पर नियंत्रण या स्वामित्व नहीं है।

स्पष्टीकरण : 'नियंत्रण' अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के अंतर्गत परिभाषित;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि के निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक प्राधिकरण में पंजीकृत किसी अन्य पेंशन निधि के निदेशक मंडल का निदेशक नहीं होगा;

(ज) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या अभिरक्षक या न्यासी बैंक में बीस प्रतिशत या अधिक इक्विटी पूंजी पर नियंत्रण या स्वामित्व नहीं है;

(झ) पेंशन निधि गतिविधियों को शुरू करने के लिए भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल क्षमता सहित आवश्यक अवसंरचना, समर्पित श्रमशक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ पेंशन निधि को सुविधा प्रदान करेगा।

परन्तु व्यवसाय शुरू होने की तिथि से बारह महीने के बाद पेंशन निधि समर्पित श्रमशक्ति, बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का अनुपालन करेगा;

(ञ) सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि के निदेशकों में से कम से कम पचास प्रतिशत को वित्तीय सेवाओं और संबंधित क्षेत्र में पेशेवर अनुभव हो;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि के मुख्य कर्मचारीगण के पास अपेक्षित क्षेत्रों में प्रासंगिक योग्यताएं और अनुभव हों;

परन्तु पेंशन निधि का एक अधिकारी, जो मुख्य कर्मचारी है, प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद, किसी अन्य मुख्य कर्मचारी के कार्यों को करने के लिए नामित किया जा सकता है; और

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि और उसके प्रधान अधिकारी अनुसूची II में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' है।

(3) एक आवेदक जो उप-विनियम (1) के खंड (छ) और उप-विनियम (2) के खंड (च) से (ठ) में निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो वह इसके कारणों का हवाला देते हुए प्राधिकरण से छूट मांग सकता है।

(4) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी आवेदक द्वारा मांगी गई किसी भी छूट को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

(5) प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अभिदाताओं के हित में ऐसी छूट दे सकता है। इन परिस्थितियों में प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है जो पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उचित समझी जाए।

(6) किसी भी आवेदक द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(7) केवल आवेदन जमा करने या पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से आवेदक को पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने का निहित अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा।”

X. मुख्य विनियमों के विनियम 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“9. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, पंजीकरण शुल्क और पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि. -

(1) पेंशन निधि के प्रायोजक के चयन के लिए प्राधिकरण को प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन इन नियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और दिशानिर्देशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) (क) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पेंशन निधि का प्रायोजक बनने के लिए पात्र है, वह ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो वह निर्धारित कर सकता है, आवेदक को पेंशन निधि गठित करने के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है।

(ख) पेंशन निधि गठित होने पर (पात्रता मानदंडों को पूरा करके) और अनुसूची III में निर्दिष्ट लागू करें और लेवी के साथ प्रायोजक से अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अनुसूची I में निर्दिष्ट प्रारूप में पेंशन निधि प्रायोजक को सूचित करते हुए उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

(3) पेंशन निधि को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

(4) पेंशन निधि, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अपना परिचालन शुरू कर देगा। इस अवधि को छह महीने से ज्यादा बढ़ाने के लिए लिखित रूप में कारणों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(5) प्रायोजक को ऐसे प्राधिकरणों से पेंशन निधि की स्थापना और कामकाज के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।”

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :

“9क. पंजीकरण के नियम एवं शर्तें.- (1) पेंशन निधि को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा अर्थात् :

(क) प्रायोजक और पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का हर समय अनुपालन करेंगे। पहले से प्रस्तुत सूचना या विवरण में कोई भी वस्तुगत परिवर्तन, जिसका उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी सूचना प्राधिकरण को पंद्रह दिन के भीतर देनी होगी;

(ख) प्रायोजक और पेंशन निधि ने पेंशन स्कीमों के प्रबंधन के लिए पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण को स्वीकार करने और अपने दायित्वों के उचित प्रदर्शन एवं दायित्व हेतु स्वयं को बाध्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और कदम उठाए हैं;

(ग) पेंशन निधि में न्यूनतम नेट वर्थ (शुद्ध मालियत) पचास करोड़ रुपये बनाए रखी जाएगी;

(घ) प्रायोजक और पेंशन निधि, पेंशन स्कीमों का प्रबंधन करते समय सभी मामलों में अभिदाताओं के हित को सर्वोपरि रखेंगे और प्रायोजकों, पेंशन निधि के निदेशकों या संबंधित व्यक्तियों या अभिदाताओं के एक विशेष वर्ग को हितों के टकराव या किसी अनुचित लाभ से बचाएंगे;

(ङ.) पेंशन निधि अभिदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त, विवेकपूर्ण कदम उठाएगा और हर संभव परिश्रम करेगा;

(च) पेंशन निधि इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पार्टियों के साथ ऐसे समझौतों को निष्पादित कर समझौतों की शर्तों का पालन करेगा;

(छ) प्रायोजक और पेंशन निधि अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्राप्त सभी लेनदेन, अभिलेख, डेटा और सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, कानून की प्रक्रिया के तहत या प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशानुसार ऐसे डेटा या सूचना को साक्ष्य के रूप में या आवश्यकता के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा;

(ज) प्रायोजक और पेंशन निधि, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों का पालन करेंगे, जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की अवधि के दौरान भी विनियम 34 के तहत निर्दिष्ट सभी कार्यों के पूरा होने तक आस्ति या दस्तावेजों के अंतरण के क्षणिक चरण के दौरान शामिल है।;

(झ) पेंशन निधि, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, अभिदाता और अन्य मध्यस्थों को निवेश नीतियों, निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और पेंशन स्कीमों के सामान्य मामलों के बारे में सरल भाषा में पर्याप्त, सटीक, स्पष्ट और समय पर सूचना का प्रसार सुनिश्चित करेगा। पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप और आवधिकता में अनुसूची V में निर्दिष्ट सहित अपेक्षित सूचना अभिदाताओं को संप्रेषित करेगा;

(ञ) प्रायोजक समय-समय पर पेंशन निधि की बांछनीयता या निरंतरता की समीक्षा करेगा। यदि किसी भी पेंशन स्कीम में पर्याप्त अनियमितताएं देखी जाती हैं, तो प्रायोजक पेंशन निधि में किसी विशेष विकास के बारे में प्राधिकरण को तुरंत रिपोर्ट करेगा;

(ट) (i) प्रायोजक (या प्रायोजक बनने का प्रस्ताव करने वाली इकाई द्वारा) या पेंशन निधि द्वारा शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव अथवा पेंशन निधि में नियंत्रण के लिए निम्नलिखित की स्थिति में प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी:

(क) पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में प्रास्थिति में बदलाव होने की संभावना है;

(ख) पेंशन निधि के सरकारी कंपनी न रहने की संभावना है; या

(ग) अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रतिबंध को आकृष्ट करने वाले पेंशन निधि में विदेशी होल्डिंग में कोई भी बदलाव (जारी दिशानिर्देशों के अनुसार);

(ii) पांच प्रतिशत से अधिक के शेयरधारिता पैटर्न में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए प्रायोजक और पेंशन निधि द्वारा, जैसा लागू हो, प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी;

परन्तु पेंशन निधि के शेयरधारिता पैटर्न में उपरोक्त के अलावा कोई अन्य बदलाव, पेंशन निधि द्वारा सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा;

(iii) पेंशन निधि के मुख्य कर्मचारीगण या प्रधान अधिकारी में किसी भी बदलाव की सूचना प्राधिकरण को पंद्रह दिनों के भीतर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- "सरकारी कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(45) के अनुसार परिभाषित होगा;

(ठ) पेंशन निधि अनुसूची VI में निर्दिष्ट 'आचार संहिता' का अनुपालन करेगी;

(ड) पेंशन निधि किसी तीसरे पक्ष को कोई मूलभूत कार्य नहीं सौंपेगा। किसी भी गैर-मूलभूत कार्य का प्रत्यायोजन केवल प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा;

(ढ) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों या निधियों से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर कोई अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं होगी ;

(ण) पेंशन निधि, साइबर सुरक्षा नीति, आउटसोर्सिंग नीति, सामान्य स्टीवर्डशिप कोड, उस पर लागू सीमा तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), मूल्यांकन दिशानिर्देश, ब्रोकर एम्प्लॉयमेंट, अंकेषक नियुक्ति और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर आस्तियों पर वोटिंग नीति का अनुपालन करेगा;

(त) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन निधि में कोई प्रत्यक्ष इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रखेगा;

(थ) पेंशन निधि का केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या अभिरक्षक या न्यासी बैंक में बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी पूंजी का नियंत्रण या स्वामित्व नहीं होगा; और

(द) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना जारी करने के अनुसार उसको न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न स्कीम की सुविधा प्रदान करेगा।"

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"10. मध्यस्थों के साथ दस्तावेज़ीकरण.- (1) परिचालन शुरू होने से पहले, पेंशन निधि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समझौतों को निष्पादित करेगा :-

(क) अनुसूची XI में निर्दिष्ट अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ निवेश प्रबंधन समझौता;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौता;

(ग) अनुसूची IX में निर्दिष्ट अनुसार अभिरक्षक के साथ समझौते;

(घ) अनुसूची VIII में निर्दिष्ट अनुसार केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और न्यासी बैंक के साथ व्यवस्था करना; और

(ङ) मध्यस्थों के साथ कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) समझौतों की व्याख्या पर मध्यस्थों के बीच किसी भी मतभेद के मामले में, इसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे निर्धारण के लिए अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(3) पेंशन निधि लागू कानूनों के तहत ऐसे अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा और खाते खोलने, हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करने, डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने, कनेक्टिविटी प्रदान करने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन

और अन्य समान मामलों से संबंधित अन्य मध्यस्थों के साथ दस्तावेजीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, ताकि इसे कानून के तहत या पेंशन निधि के रूप में कार्य करने में कोई अक्षमता न हो।"

XIII. मुख्य विनियमों के विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"11 व्यवसाय का प्रारम्भ.- (1) संचालन शुरू करने के लिए पेंशन निधि और अन्य संबंधित गतिविधियों के दस्तावेजीकरण के पूरा होने पर, पेंशन निधि प्राधिकरण से व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र मांगेगा।

(2) व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र मांगते समय, पेंशन निधि यह गारंटी देगा कि उसके पास पेंशन निधि के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अनुमोदन और अनुमति है और इस तरह कार्य करने के लिए वह कानून या अन्यथा किसी भी तरह की निःशकतता से सम्बद्ध नहीं है।

(3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि पेंशन निधि, पेंशन स्कीमों के प्रबंधन के लिए अपना संचालन शुरू करने के लिए सुसज्जित है, अनुसूची IV में निर्दिष्ट प्रारूप में पेंशन निधि को "व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र" जारी कर सकता है, जिसके अनुसार पेंशन निधि अपनी गतिविधि(गतिविधियों) को संचालित करेगा।"

XIV. मुख्य विनियमों का विनियम 12 हट जाएगा;

XV. मुख्य विनियमों के विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"13. वार्षिक शुल्क.- पेंशन निधि, अनुसूची III में निर्दिष्ट या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, प्रत्येक तिमाही के बाद के महीने के 10वें दिन तक या पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के दस दिनों के भीतर, वार्षिक शुल्क, उस पर लागू लेवी और करों सहित, प्राधिकरण के पास जमा करेगा।

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"14. स्कीम और निवेश दिशानिर्देश.- (1) पेंशन निधि अभिदाताओं के कल्याण हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन स्कीमों का प्रबंधन करेगा।

(2) कोई भी पेंशन निधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिदाताओं का धन भारत के बाहर निवेश नहीं करेगा।

(3) अभिदाता द्वारा खरीदी जाने वाली बाजार-आधारित गारंटी तंत्र के अलावा लाभ का कोई अंतर्निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा।

(4) न्यूनतम सुनिश्चित लाभ के इच्छुक अभिदाता के पास अपनी निधि को ऐसी स्कीमों में निवेश करने का विकल्प होगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं।

(5) पेंशन निधि अभिदाताओं को प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आस्ति वर्गों में निवेश करने का विकल्प प्रदान करेगा, जिसमें से वह सौ प्रतिशत अधिसूचित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेगा।"

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"15. स्कीम आस्तियों का मूल्यांकन.- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर और पेंशन स्कीमों के तहत पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित आस्ति या प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।"

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"16. आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंड.- (1) निवेश ग्रेड से नीचे की आस्तियों या प्रतिभूतियों के संबंध में, आय अभिज्ञान, उसका वर्गीकरण और प्रावधान, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में होगा।

(2) पेंशन निधि, निवेश ग्रेड से नीचे की पहचान की गई आस्तियों या प्रतिभूतियों की निगरानी करेगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के सहयोग से ऐसी आस्तियों के लिए वसूली उपाय शुरू करके प्राधिकरण को सूचित करेगा।"

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 17 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"17. लेखाबहियाँ और अभिलेख.- (1) पेंशन निधि, पेंशन स्कीमों के संचालन की लेखाबहियाँ और अभिलेख बनाए रखेगा और आयकर अधिनियम, 1961, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों का

अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इस तरह के तरीके और ढंग से सूचना प्रदान करेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) पेंशन निधि प्रत्येक स्कीम के लिए खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों की उचित बहीखाते बनाए रखेगी ताकि योजनाओं के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष निरूपण किया जा सके, और यदि अभिलेख और दस्तावेज पेंशन निधि के पंजीकृत कार्यालय में नहीं रखे जाते हैं, तब इनके बारे में प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सूचित किया जाएगा। पेंशन निधि बहीखाते, अभिलेखों और दस्तावेजों के रखरखाव और यथार्थता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(3) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगा।”

XX. मुख्य विनियमों के विनियम 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“18. योजनाओं के लिए निवल आस्ति मूल्य (एनएवी).- (1) पेंशन स्कीमों की प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

(2) पेंशन निधि प्रत्येक स्कीम की निवल आस्ति मूल्य की गणना मूल्यांकन की तिथि पर बकाया यूनिटों की संख्या से स्कीम की निवल आस्ति को विभाजित करके करेगा।

स्पष्टीकरण :- निवल आस्ति का अर्थ है मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार {स्वीकार्य शुल्क रहित (देय/बकाया)} प्राप्त स्कीम की आस्ति का मूल्य;

(क) स्वीकार्य शुल्कों में शामिल होंगे :

(i) चयन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित निवेश प्रबंधन शुल्क;

(ii) चयन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अभिरक्षक शुल्क और वास्तविक के अनुसार डिपॉजिटरी और निपटान शुल्क;

(iii) इक्विटी लेनदेन पर 0.03% तक ब्रोकरेज शुल्क या प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार;

(iv) प्राधिकरण द्वारा अनुमत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास शुल्क; और

(v) उस पर लागू कर और लेवी.

एनएवी गणना की पद्धति वही होगी जो अनुसूची XII में प्रदान की गई है।

(3). पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में प्रत्येक पेंशन स्कीम के लिए यूनिटों के एनएवी की गणना और घोषणा करेगा।

(4). अंशदान प्राप्तियों और मोचन अनुरोधों के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पेंशन निधि प्रत्येक व्यावसायिक दिन के लिए घोषित एनएवी के आधार पर यूनिटों का निर्माण या विमोचन करेगा।

(5). पेंशन निधि, स्कीम एनएवी की गणना और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके आधार पर केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा अभिदाताओं को इकाईयों का आबंटन और नकदीकरण किया जाता है।”

XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 19 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“19. निवेश प्रबंधन शुल्क.- (1) पेंशन निधि प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन स्कीमों के कोष से निवेश प्रबंधन शुल्क लेने का हकदार होगा।

(2) निवेश प्रबंधन शुल्क प्राप्त करने के तरीके और ढंग का निर्धारण, प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और यह अभिदाताओं के हित और पेंशन स्कीमों के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन के अधीन होगा।”

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 20 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“20. वार्षिक रिपोर्ट और अंकेषकों की रिपोर्ट.- (1) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सही और निष्पक्ष तरीके से, अनुसूची VII में वर्णित प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

पेंशन निधि द्वारा वैधानिक अंकेक्षक और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा स्कीम अंकेक्षकों की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुपालन में होगी।

(2) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से पेंशन स्कीमों के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करवाएगा और अंकेक्षक की रिपोर्ट पेंशन निधि की वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा बनेगी। योजना अंकेक्षक स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को रिपोर्ट करेंगे।

(3) पेंशन निधि द्वारा :

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर पेंशन निधि के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट (पेंशन स्कीमों के वित्तीय विवरण और अंकेक्षक रिपोर्ट सहित) को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को जमा किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का न्यासी निदेशक मंडल पेंशन स्कीमों के वित्तीय विवरणों को मंजूरी देकर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की टिप्पणियों का, यदि कोई हो, की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर समाधान किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(4) पेंशन स्कीमों का प्रत्येक तुलन पत्र और राजस्व खाता एएस 3 (कैश फ्लो स्टेटमेंट) और एएस 17 (खंडवार रिपोर्टिंग) को छोड़कर, समय-समय पर जारी एवं पेंशन स्कीम पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप होगा और इन विनियमों से असंगत नहीं होगा।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, प्रत्येक स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट और पोर्टफोलियो विवरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की मंजूरी के बाद पेंशन निधि की वेबसाइट पर प्रमुखता से अपलोड किया जाएगा।

(6) स्कीमवार वार्षिक रिपोर्ट या उसका संक्षिप्त सारांश पेंशन निधि द्वारा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को अभिदाताओं को आगे भेजने के लिए प्रदान किया जाएगा। अभिदाताओं के लिए संक्षिप्त सारांश में यह नोट होना चाहिए कि वार्षिक रिपोर्ट पेंशन निधि की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वार्षिक रिपोर्ट का वेबलिंग पृष्ठ केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ साझा किया जाएगा।

(7) वार्षिक रिपोर्ट पेंशन निधि के मुख्य कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी और उसकी एक प्रति किसी भी अभिदाता को अधिकतम दो सौ रुपये के नाममात्र शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) पेंशन निधि प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक महीने के भीतर अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर को अपनी वेबसाइट पर स्कीम पोर्टफोलियो के विवरण के साथ अपनी स्कीम-वार बिना अंकेक्षित वित्तीय विवरण का खुलासा करेगा।

(9) उप-विनियम (9) में निर्दिष्ट अर्ध-वार्षिक बिना लेखापरीक्षित रिपोर्ट में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्कीम के संचालन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं।

(10) पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों के दायित्वों का विवरण, सीईओ और संचालन प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्र शामिल होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख दायित्वों से संबंधित एक घोषणा शामिल होगी:

(क) स्कीम के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण, जो स्कीम की स्थिति और स्कीम एनएवी का सही और उचित निरूपण प्रदान करती हो ;

(ख) आंतरिक वित्तीय प्रक्रियाओं और डिजिटल संरचना नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता;

(ग) अधिनियम, नियम, विनियम, निवेश दिशानिर्देश, मूल्यांकन दिशानिर्देश, स्टीवर्डशिप कोड, मतदान नीति और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन; और

(घ) आचार संहिता का अनुपालन।”

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 21 हट जाएगा;

XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 22 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"22. पेंशन निधि के कर्तव्य और कार्य.- (1) पेंशन स्कीमों का प्रबंधन स्कीमों के उद्देश्य, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देशों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास डीड के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

(2) पेंशन स्कीमों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

(3) पेंशन निधि, हर समय निधि प्रबंधन सेवाओं के उच्च मानकों को प्रदान करेगा, अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी, विवेक, पेशेवर कौशल, तत्परता, परिश्रम और सतर्कता बरतेगा। पेंशन निधि को सट्टा निवेश या लेनदेन से अनिवार्य रूप से बचना होगा।

(4) पेंशन निधि योग्य, प्रशिक्षित पेशेवरों और सत्यनिष्ठा युक्त ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। पेंशन निधि अपने कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या अधिकृत व्यक्तियों, जिनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत्य के लिए जिम्मेदार होगा और अपने कृत्यों के लिए स्वतंत्र रूप से जवाबदेह और उत्तरदायी होगा। पेंशन निधि के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दीकरण या अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद, देनदारी बनी रहेगी।

(5) पेंशन निधि अन्य मध्यस्थों और अनुमति प्राप्त इकाइयों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगा और अन्य बातों के साथ-साथ समझौते करेगा तथा इसके कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच उपलब्ध कराएगा।

(6) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और ऑडिट ट्रेल की सुविधा प्रदान करने हेतु लेनदेन के लिए निवेश निर्णयों और पेंशन स्कीमों के संचालन से संबंधित बहीखातों, अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेज प्रदान करेगा तथा हर समय व्यवसाय की लेन-देन निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

(7) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपेक्षित आवश्यक आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) पेंशन निधि अभिदाताओं के लाभ के लिए अनुसूची V में निर्दिष्ट तरीके से या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेगा।

(9) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति जैसी सर्वोत्तम शासन पद्धतियों को अपनाएगा जिनकी गठन संरचना, कार्य और कर्तव्य अनुसूची X में निर्दिष्ट हैं और इसके अतिरिक्त एक अंकेक्षण समिति, और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करेगा।

(10) पेंशन निधि, अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय पेंशन निधि के रूप में उत्पन्न होने वाले हितों के विरोध को रोकेगा और ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को करेगा।

(11) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों की गतिविधियों से पेंशन निधि गतिविधियों की विशिष्टता और प्रथक्करण सुनिश्चित करेगा।

(12) पेंशन निधि, पेंशन निधि के संबंध में अभिदाताओं की गतिविधियों से संबंधित सूचना की गोपनीयता और अपने नियंत्रण में सभी सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और ऐसी सूचना को प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी अन्य मध्यस्थ के साथ साझा करेगा या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत जैसा भी आवश्यक हो।

(13) पेंशन निधि ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा, जो अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

(14) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क, लेवी और प्रतिभूति का भुगतान करेगा।

(15) पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा इसके संचालन और प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन होगा।

(16) पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा पेंशन स्कीमों के अंकेक्षण के अधीन होगा।

(17) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा अन्य अंकेक्षण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(18) पेंशन निधि, जो उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है, अपने निधि प्रबंधन गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए राजस्व और व्यय के विवरण सहित अलग अवसंरचना, श्रमशक्ति, खातों को बनाए रखेगा।

(19) पेंशन निधि सर्वोत्तम शासन पद्धतियों को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू प्रकटीकरण मापदंडों का अनुपालन करेगा जिसकी जिम्मेदारी अनुपालन अधिकारी की होगी।

(20) अधिनियम की धारा (20)(2)(घ)(ख) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा स्कीम की अधिसूचना पर, पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर ऐसी स्कीमों की पेशकश करेगा।

(21) पेंशन निधि:

- (i) धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रशमन नीति तैयार कर उसका अनुपालन करेगा;
- (ii) अनुपालन हेतु आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- (iii) पेंशन निधि की ओर से स्थापित धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए अभिदाता के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान करेगा।”

XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 23 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“23. प्रणालियों और नियंत्रणों की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन.- (1) पेंशन निधि में नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र होंगे।”

XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 24 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“ 24. अनुपालन अधिकारी की-नियुक्ति .- (1) पेंशन निधि एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी किसी भी अनुपालनहीनता की रिपोर्ट तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को देगा।

(3) अनुपालन अधिकारी एक अनुपालन प्रमाणपत्र तैयार करेगा जिसमें उल्लिखित होगा कि पेंशन निधि ने सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन किया है, ऐसे प्रमाणपत्र को पेंशन निधि के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और निदेशक मंडल की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।”

XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 25 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“25. प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सूचना.- (1) प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, पेंशन निधि से कोई भी सूचना मांग सकता है।

(2) पेंशन निधि का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे।”

XXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (1) और (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“26. निरीक्षण एवं अंकेक्षण.- (1) प्राधिकरण नियमित अंतराल पर जैसा उचित समझे, पेंशन निधि का निरीक्षण करेगा।

उपरोक्त के बावजूद, वह किसी भी समय जब भी उचित समझे, सीधे तौर से या अंकेक्षक नियुक्त कर के या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कॉल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और पेंशन निधि के दस्तावेजों सहित इस विनियमन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु बहियों, खातों, अभिलेख का निरीक्षण या अंकेक्षण कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं :

(क) अवसंरचनात्मक क्षमताओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पता लगाना;

- (ख) यह सुनिश्चित करना कि लेखाबहियों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और दस्तावेजों सहित अन्य अभिलेखों का रखरखाव इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट रीति से किया जा रहा है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित हैं और पेंशन निधि द्वारा उनका अनुपालन किया जा रहा है;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है ;
- (ङ) पेंशन निधि की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी मामले पर अभिदाताओं, मध्यस्थों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना; अथवा
- (च) अभिदाताओं के हित में जैसा उचित समझे, स्वतः संज्ञान लेकर पूछताछ करना।"

XXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 27 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"27. निरीक्षण या अंकेक्षण से पहले नोटिस.- (1) इस अध्याय के तहत निरीक्षण या अंकेक्षण करने से पहले, प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक पेंशन निधि को दस कार्य दिवस का नोटिस देंगे।

परन्तु, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि निरीक्षण या अंकेक्षण अभिदाताओं के हितों की तत्काल सुरक्षा के लिए है, तो किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान, पेंशन निधि, जिसका निरीक्षण या अंकेक्षण किया जा रहा है, इन विनियमों में दिए गए अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा।"

XXX. मुख्य विनियमों के विनियम 28 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"28. निरीक्षण और अंकेक्षण पर दायित्व.- (1) पेंशन निधि का, जिसका निरीक्षण या लेखापरीक्षा की जा रही है, और प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का, प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखा परीक्षक को, उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी बहियों, खातों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और उसके कार्यकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचना प्रस्तुत करना होगा, ऐसे समय के भीतर जैसा कि प्रदान किया जा सकता है। "

XXXI. मुख्य विनियमों के विनियम 29 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"29. अंकेक्षण की प्रक्रिया.- आंतरिक अंकेक्षण, स्कीम अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण और पेंशन निधि के अन्य अंकेक्षण जिस रीति से आयोजित किए जाएंगे, वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।"

XXXII. मुख्य विनियमों के विनियम 30 में उप-विनियम (2) के बाद, एक नया उप-विनियम (3) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

"(3) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या एकत्र दस्तावेज या सूचना, प्राधिकरण के समक्ष किसी भी जांच या पूछताछ या किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।"

XXXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 33 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"33. पंजीकरण प्रमाणपत्र का रद्दीकरण या निलंबन करना.- (1) जहां पेंशन निधि या उसका प्रायोजक :

- (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र या नियुक्ति पत्र के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, जैसा मामला हो;
- (ख) अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
- (ग) प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना उसका व्यवसाय किसी अन्य पेंशन निधि या प्रायोजक को हस्तांतरित या उसके साथ समामेलित हो गया है;
- (घ) अधिनियम की धारा 28 के तहत उल्लिखित कोई भी चूक करता है;
- (ङ) लागू करों सहित प्राधिकरण को देय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (च) गतिविधि जारी रखना बंद कर देता है या प्राधिकरण द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस लेने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करता है;

- (छ) इसके द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी या वचन का पालन करने या निष्पादित करने में विफल रहता है या ऐसा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर किसी भी उल्लंघन या विफलता को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ज) अनुचित व्यापार प्रथाओं या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है या पेंशन स्कीमों के व्यवस्थित विकास के लिए प्रतिकूल तरीके से या अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करता है;
- (झ) प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी जांच में सहयोग नहीं करता है;
- (ञ) प्राधिकरण को गलत बयान या सूचना प्रस्तुत करता है जिसका प्राधिकरण या अभिदाताओं या किसी मध्यस्थ के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;
- (ट) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है;
- (ठ) अपनी पेंशन गतिविधि से संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
- (ड) स्वामित्व, प्रबंधन या प्रमुख कर्मियों में परिवर्तन किया जाता है जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;
- (ढ) बाजार या सहयुक्त बेंचमार्क से काफी नीचे और लगातार रिटर्न सृजित करता है;
- (ण) अधिनियम की धारा 20(2)(घ)(ख) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम सुनिश्चित लाभ योजना के तहत अभिदाता को दी गई गारंटी का सम्मान करने में विफल रहता है ; या
- (त) अभिदाताओं के हित में या पेंशन योजना के व्यवस्थित विकास में प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।
- (2) प्राधिकरण आदेश द्वारा, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या निरस्त कर सकता है, या कोई आदेश या निर्देश पारित कर सकता है, जैसा प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए।
- (3) पंजीकरण के निलंबन या रद्दीकरण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को विनियमों के अनुसार की गई जांच के तहत सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।”

XXXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 33 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :

- “33क. पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण.- (1) प्राधिकरण से अनुरोध कर पेंशन निधि अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटा सकता है।
- (2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, प्राधिकरण पेंशन निधि से निम्नलिखित की मांग कर सकता है-
- (क) प्राधिकरण के निर्देशानुसार, अपनी लागत और खर्च पर अभिदाताओं के अभिलेख, निधि या प्रतिभूतियों के अंतरणके लिए की गई व्यवस्था और अभिदाताओं को सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना;
- (ख) चूक और लंबित कार्रवाइयों, यदि कोई हो, को सुधारना;
- (ग) अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण; और
- (घ) अभिदाताओं के हित में कोई अन्य उपाय।
- (3) पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने के अनुरोध पर विचार करते समय, प्राधिकरण पेंशन निधि पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उचित समझे।
- (4) पेंशन निधि के पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा कोई जांच, या निर्णय विचाराधीन है।
- (5) पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्राधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि पेंशन निधि ने उप-विनियम (2) के तहत आवश्यकताओं और उप-विनियम (3) के तहत अन्य शर्तों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया है या उनके अनुपालन के लिए कदम उठाए हैं।
- (6) जहां प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, वह पेंशन निधि को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र और प्रायोजक को जारी किए गए नियुक्ति पत्र को निरस्त कर देगा और उन्हें सात कार्य

दिवसों के भीतर सूचित कर ऐसी सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ इसे संबंधित इकाई को भी उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने तथा आवश्यकतानुसार प्रचारित और प्रसारित करने के निर्देश देगा।"

XXXV. मुख्य विनियमों के विनियम 34 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"34. प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दीकरण का प्रभाव.- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की तिथि से, पेंशन निधि, जहां निर्देशित हो-

- (क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन स्कीमों के तहत नया व्यवसाय करना बंद कर देगा, जैसा मामला हो;
 - (ख) आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा जो पेंशन निधि के नियंत्रण या अधिकार में हो, समय सीमा के भीतर और उस तरीके से जो प्रासंगिक नियमों के तहत आवश्यक हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए;
 - (ग) अपनी स्वयं की लागत पर आस्ति, अभिलेख, दस्तावेज या सूचना, जो उसके नियंत्रण या अधिकार में हो, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए, उस रूप में और उस तरीके से किसी अन्य पेंशन निधि में अंतरित करेगा;
 - (घ) पेंशन निधि या प्रायोजक, अपने प्रबंधन के तहत सभी आस्तियों के सुचारू अंतरण को सुनिश्चित करने में, जहां लागू हो, अपनी लागत और व्यय पर, सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, ऐसी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण करेगा जो आस्तियों के ऐसे अंतरण के संबंध में अभिदाता के हित में हो। साथ ही पेंशन निधि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, अभिलेख या सूचना का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए;
 - (ङ) ऐसी आस्तियों का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार किया जाएगा; और
 - (च) प्रायोजक या पेंशन निधि प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन होगा जब तक कि ऐसे सभी अंतरण या कार्य पूरे नहीं हो जाते या जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित रहता है।
- (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त होने की तिथि से, संबंधित पेंशन निधि-
- (क) जिन गतिविधियों के संबंध में पंजीकरण की अनुमति दी गई है, उन्हें जारी रखना बंद करेगा और अपने उन मामलों का समापन करेगा;
 - (ख) इस प्रकार निरस्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्राधिकरण को लौटाएगा और ऐसी अन्य एजेंसियों को सूचित करेगा, जिन्हें उक्त तथ्य के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और सूचना को अपनी वेबसाइट पर और ऐसे यथानिर्देशित अन्य तरीके से प्रसारित करेगा;
 - (ग) प्राधिकरण द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी अन्य निर्देश को पूरा करना और उसके अनुपालन की रिपोर्ट करना; और
 - (घ) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण की गई देनदारी के संबंध में प्रावधान करना।"

XXXVI. प्रमुख विनियमों की अनुसूची I (पंजीकरण प्रमाणपत्र) में, प्रतीक, शब्द और अंक,

- i. "विनियम 3(1)" को "विनियम 9(2)(ख)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
- ii. "विनियम 9(2) देखें" को "विनियम 9(2)(ख) देखें" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

XXXVII. मुख्य विनियमों की अनुसूची II ('उपयुक्त तथा उचित' हेतु मानदंड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"अनुसूची II

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(पेंशन निधि) विनियम, 2015

[विनियम 8(1)(छ) और 8(2)(ठ) देखें]

'उपयुक्त तथा उचित' के लिए मानदंड

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आवेदक या प्रायोजक या पेंशन निधि या उनका प्रमुख अधिकारी एक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' है, प्राधिकरण किसी भी कारक को ध्यान में रख सकता है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

(भाग-क)

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना;
- (ग) सक्षमता;

- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र;
 (ङ.) दक्षता और ईमानदारी; और
 (च) वित्तीयशोधन क्षमता और नेटवर्थ (शुद्ध मालियत)

(भाग-ख)

किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता हो :

- (1) प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के तहत आपराधिक शिकायत या सूचना दायर की गई है और जो लंबित है;
- (2) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध आर्थिक अपराध से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया हो और लंबित हो;
- (3) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों या बीमा कानून से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण या किसी वित्तीय विनियामक या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध रोक, निषेध या प्रतिबंध का आदेश पारित किया गया है और निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से तीन साल की अवधि तक आदेश समाप्त नहीं हुआ है;
- (4) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा लाइसेंस या पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है;
- (5) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा वसूली कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;
- (6) नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध या धोखाधड़ी से जुड़े किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध सजा का आदेश पारित किया गया है;
- (7) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई समापन कार्यवाही शुरू की गई है या समापन का आदेश पारित किया गया है;
- (8) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई दिवाला कार्यवाही लंबित है या जहां उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उन्मोचन नहीं किया गया है;
- (9) ऐसे व्यक्ति जिसको सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का पाया गया है और निष्कर्ष लागू है;
- (10) ऐसे व्यक्ति जिसको इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (11) ऐसे व्यक्ति जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है;
- (12) किसी भी सरकारी या वैधानिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई या जांच या किसी भी प्रकृति की अन्य कार्यवाही का आदेश या नोटिस जो दायित्वों के प्रदर्शन को रोक, प्रतिबंधित या अन्यथा चुनौती देगा या बाधित करेगा और इसके विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सहित किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक से, प्रतिकूल कार्यवाही हो सकती है और जो ऐसी प्रकृति का हो जो प्रायोजक के रूप में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है; या
- (13) कोई अन्य अयोग्यता जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए।"

XXXVIII. मुख्य विनियमों की अनुसूची III (विनियमों के तहत देय शुल्क) का भाग क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुसूची III

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015

[विनियम 4(2), 9(2)(ख) और 13 देखें]

विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क

भाग क

शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि

क्रमांक	शुल्क का प्रकार	राशि	प्रकार और गणना	भुगतान का समय
1.	आवेदन शुल्क	10,00,000 रुपये उस पर लागू करों और लेवी के साथ	अप्रतिदेय सपाट दर	पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय
2.	पंजीकरण शुल्क	25,00,000 रुपये उस पर लागू करों और लेवी के साथ	अप्रतिदेय सपाट दर	पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय

3.	वार्षिक शुल्क	प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार, न्यूनतम 10,00,000 रुपये प्रति वर्ष (2,50,000 रुपये प्रति तिमाही या उसके कुछ भाग) के लागू करें और लेवी के साथ।	अप्रतिदेय प्रबन्धन के तहत आस्तियों का प्रतिशत : पिछली तिमाही के अंतिम दिवस पर प्रबंधन के तहत आस्तियों की राशि पर विचार किया जाएगा	प्रत्येक तिमाही के अगले महीने के 10 वें दिन तक या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के दस दिनों के भीतर, त्रैमासिक आधार पर देय”।
----	---------------	---	--	---

XXXIX. मुख्य विनियमों की अनुसूची IV (कारोबार आरम्भ करने के लिए प्रमाणपत्र) में, "कारोबार आरम्भ करने के लिए प्रमाणपत्र" शब्द को "कारोबार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

XL. मुख्य विनियमों की अनुसूची V (रिपोर्ट और प्रकटन) में, "विनियम 12 (ज) और 22 (8) देखें", प्रतीकों, शब्दों और अंकों को "विनियम 9क(1) (झ) और 22 (8) देखें" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

XLI. मुख्य विनियमों की अनुसूची VI (आचार संहिता) में, "विनियम 12 (ट) और 21 देखें", प्रतीकों, शब्दों और अंकों को "विनियम 9 क (1) (ठ) देखें" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

XLII. मुख्य विनियमों की अनुसूची VI (आचार संहिता) के भाग III (सूचना का प्रकटीकरण) में खंड (घ) के बाद, एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(ङ.) एक पेंशन निधि को अपनी स्कीम रिटर्न का प्रकटन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा होस्ट किए गए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रारूप और तरीके से करना होगा। अपने समकक्षों के बीच योजना के प्रदर्शन की तुलना के उद्देश्य से, पेंशन निधि केवल उन तिथियों के लिए रिटर्न का उपयोग करेगा जिनके लिए रिटर्न राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और सभी पेंशन निधियों के रिटर्न का प्रकटन करेंगे। यदि पेंशन निधि केवल अपनी स्कीम के रिटर्न का प्रकटन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में स्कीम के लिए बेंचमार्क रिटर्न का भी प्रकटन किया जाएगा और इसके समकक्षों के बीच कोई रैंकिंग प्रदान नहीं की जाएगी।”

XLIII. मुख्य विनियमों की अनुसूची VII (वित्तीय विवरण और अंकेक्षण रिपोर्ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुसूची VII

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(पेंशन निधि) विनियम, 2015

(विनियम 20 देखें)

वित्तीय विवरण और अंकेक्षण रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

(I). वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होंगे-

- i. वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्कीम के परिचालनों पर रिपोर्ट और आर्थिक स्थिति;
- ii. निम्नलिखित पक्षों पर संक्षिप्त विवरण, अर्थात् :-
 - क. पेंशन निधि की देयताएं और उत्तरदायित्व;
 - ख. प्रत्येक स्कीम का निवेश उद्देश्य;
 - ग. स्कीम में निवेश का आधार और नीति;
 - घ. स्कीम निवेश का मूल्यांकन
 - ङ. निर्दिष्ट बेंचमार्क की तुलना द्वारा स्कीम के प्रदर्शन पर टिप्पणियां।

- iii. अनुसूची के अनुच्छेद VII के अनुसार तुलनपत्र और राजस्व खाते का संक्षिप्त संस्करण
- iv. स्कीम के संबंध में अनुच्छेद VI के अनुसार निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण
- v. पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित सभी स्कीमों के समेकित वित्तीय विवरण
- vi. इस अनुसूची के अनुच्छेद IX के अनुसार लेखा नीतियां
- vii. इस अनुसूची के अनुच्छेद II और III के अनुसार तुलनपत्र और राजस्व खाता;
- viii. इस अनुसूची के अनुच्छेद IV के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट;
- ix. इस अनुसूची के अनुच्छेद V के अनुसार स्कीमों के "मुख्य आंकड़े" देने वाले विवरण
- x. इस अनुसूची के अनुच्छेद VIII के अनुसार लेखा-टिप्पणियां।

(II). तुलन पत्र की विषयवस्तु

- i. तुलनपत्र में उसकी आस्तियों और देयताओं का स्कीमवार ब्यौरा दिया जाएगा। इसमें लेखा नीतियों, निवेशों के मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी प्रकटन किया जाएगा।
- ii. तुलनपत्र, प्रत्येक प्रकार के निवेश के तहत, निवेश ग्रेड से नीचे आस्तियों के सकल वहन मूल्य और बाजार मूल्य का प्रकटन करेगी।
- iii. तुलनपत्र, लेखा वर्ष के अंत में प्रत्येक इकाई के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का प्रकटन करेगी।
- iv. तुलनपत्र में प्रत्येक मद के सामने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में तदनुसूची आंकड़े दिए जाएंगे।
- v. तुलनपत्र की टिप्पणियों में निवेश के संबंध में निम्नलिखित सूचना का प्रकटन किया जाएगा : -
 - क. तुलनपत्र में दिए गए मुख्य वर्गीकरण के तहत सभी निवेशों को समूहबद्ध किया जाएगा;
 - ख. प्रत्येक मुख्य वर्गीकरण के अंतर्गत, प्रत्येक प्रमुख उद्योग समूह के तहत आने वाले निवेशों का सकल मूल्य (जो मुख्य वर्गीकरण में कुल निवेश का 5 प्रतिशत से कम नहीं है) वर्गीकरण के भीतर कुल निवेश की तुलना में उसके प्रतिशत के साथ प्रकट किया जाएगा;
 - ग. निवेश का विवरण जिसमें उन कंपनियों के नाम दिए गए हों जिनमें निवेश किया गया है और पेंशन निधि के सहयुक्तों और गुप कंपनियों में किए गए सकल निवेश, यदि कोई हों, को दर्शाया जाएगा;
 - घ. यदि किसी ऐसी संस्था को सेवाओं के लिए दलाली, अभिरक्षा शुल्क या किसी अन्य शुल्क का भुगतान किया गया है या देय है, जिसमें पेंशन निधि या उसके मुख्य शेयरधारकों का सारभूत हित है (प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से कम न हो), तो राजस्व खाते में डेबिट की गई राशि या ऐसी सेवाओं के संबंध में निवेश की लागत के रूप में मानी जाने वाली राशि को पेंशन निधि के ब्याज अथवा मुख्य शेयरधारक के विवरण के साथ अलग से प्रकट किया जाएगा।
 - ङ. वह आधार जिसके अनुसार पेंशन निधि को शुल्क का भुगतान किया गया है और उसकी गणना;
 - च. वर्ष के दौरान निधियों की अस्थायी तैनाती को छोड़कर निवेश की खरीद और बिक्री का सकल मूल्य और औसत दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा;
 - छ. इकाई पूंजी में विचलन को दर्शाया जाएगा;
 - ज. स्कीम की कुल आय में निवेश से अप्राप्य मूल्यहास या मूल्यवृद्धि शामिल होगी।
- vi. चूक के रूप में वर्गीकृत निवेश के कारण प्रावधानों को तुलनपत्र के देयता पक्ष के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे संबन्धित आस्ति के सकल मूल्य में से कटौती के रूप में दिखाया जाएगा।
- vii. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों पर अलग-अलग अवांछित देयता दिखाने वाली सभी आकस्मिक देयताओं और विवरण निर्दिष्ट करने के साथ अन्य प्रतिबद्धताओं का भी प्रकटन किया जाएगा।

तुलनपत्र के मुख्य शीर्षक

तुलनपत्र का आस्ति पक्ष :

तुलनपत्र की आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :

- निवेश
- जमा
- अन्य वर्तमान आस्तियाँ

श्रेणियों की अनुसूची :

1. निवेश

निम्नलिखित प्रकार के निवेशों का अलग से प्रकटन किया जाएगा (केवल उन शीर्षकों में जिनके तहत निवेश रखने की अनुमति है):

- i. इक्विटी शेयर;
- ii. अधिमानी शेयर;
- iii. डिबेंचर और बॉन्ड;
- iv. सरकार द्वारा गारंटीकृत/पूर्ण रूप से सेवित बॉण्डों सहित केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां;
- v. वाणिज्यिक पत्र;
- vi. ट्रेजरी बिल
- vii. एआईएफ (केवल श्रेणी I और श्रेणी II)/आरईआईटी/आईएनवीआईटी/आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां/बंधक आधारित प्रतिभूतियां
- viii. बेसल III टियर I बॉन्ड
- ix. अन्य- म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट आदि।

2. जमा

- i. अनुसूचित बैंकों में जमा;
- ii. अन्य

3. अन्य वर्तमान आस्तियाँ

- (i) बैंकों के पास चालू/बचत खाते में शेष राशि;
- (ii) नकदी;
- (iii) विविध देनदार;
- (iv) निवेश की बिक्री के लिए अनुबंध;
- (v) बकाया और अर्जित आय;
- (vi) अग्रिम, जमा आदि;
- (vii) शेयर/डिबेंचर/अन्य आवेदन राशि जिनका आवंटन लंबित है। (प्रतिभूति के नाम के साथ समयवार प्रकटीकरण किया जाना है);
- (viii) लाभांश प्राप्य
- (ix) चूक के रूप में वर्गीकृत निवेशों पर प्राप्य मोचन
घटाव : चूक के रूप में वर्गीकृत आस्ति के निवेश के लिए प्रावधान
- (x) अन्य

तुलनपत्र का देयता पक्ष

तुलनपत्र के देयता पक्ष को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जाएगा

- इकाई पूंजी;
- आरक्षित और अधिशेष;
- वर्तमान देयताएं और प्रावधान।

श्रेणियों की अनुसूची :**I. इकाई पूंजी**

- i. प्रारंभिक पूंजी;
- ii. इकाई पूंजी (इकाइयों की संख्या और अंकित मूल्य प्रति इकाई सहित)।

II. आरक्षित और अधिशेष

- i. इकाई प्रीमियम आरक्षित (रिजर्व);
- ii. सामान्य आरक्षित (रिजर्व);
- iii. कोई अन्य आरक्षित (रिजर्व) (इसकी प्रकृति के प्रकटीकरण) जिसमें अप्राप्त मूल्यवृद्धि खाता शामिल है, प्रारम्भिक राशि, आरक्षित (रिजर्व) से/को अंतरण, उपर्युक्त में से हर प्रकार के आरक्षित (रिजर्व) के लिए अंतिम शेष राशि का अलग से प्रकटन किया जाएगा।

III. वर्तमान देयताएं और प्रावधान

निम्नलिखित वर्तमान देयताओं और प्रावधानों के बीच अंतर

वर्तमान देयताएं :

- (i) विभिन्न लेनदार;
- (ii) निवेश की खरीद के लिए अनुबंध;

प्रावधान (प्रकृति को इंगित करें):

- (i) देय मोचन
- (ii) देय टीडीएस

IV. आकस्मिक देयताएं

- (i) प्रतिबद्धताएं
- (ii) अन्य (विवरण प्रदान करें)

(III). राजस्व खाते की विषयवस्तु :

- (i) राजस्व खाते में प्रत्येक स्कीम के लिए आय, व्यय और अधिशेष का स्कीमवार विवरण दिया जाएगा।
- (ii) यदि राजस्व खाते में दिखाए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ में, समान पेंशन निधि के भीतर निवेश के अंतर-स्कीम अंतरण पर लाभ/हानि को शामिल किया गया है, तो प्राप्त किए गए ऐसे लाभ के कुल योग को तृतीय पक्ष को निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि के साथ शामिल किए बिना अलग से प्रकट किया जाएगा।
- (iii) राजस्व खाते में अधिशेष/घाटे के विनियोजन को शुद्ध आधार पर आरक्षित निधियों में अंतरण के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
- (iv) राजस्व खाते में निम्नलिखित भी दर्शाए जाएंगे :

- क. चूक, बकाया और उपार्जित आय के रूप में वर्गीकृत निवेशों आधार पर सकल मूल्य के लिए प्रावधान;
- ख. अभिरक्षक, एनपीएस न्यास, न्यासी बैंक और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण शुल्क

ग. इक्विटी लेनदेन पर डिपॉजिटरी और निपटान शुल्क, स्टाम्प शुल्क और दलाली

घ. कुल आय और व्यय जिसे औसत शुद्ध आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना दैनिक आधार पर की गई है।

राजस्व खाता के मुख्य शीर्षक

आय

-लाभांश;

-ब्याज;

- निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ (अंतर-स्कीम अंतरण/बिक्री के अलावा);

- निवेश के अंतर-स्कीम अंतरण/बिक्री पर लाभ;

- निवेश में विनियोजन पर अप्राप्य लाभ

- अन्य आय (प्रकृति को दर्शाते हुए)

व्यय और हानियाँ :

- निवेश के मूल्य में अप्राप्त हानियाँ

- चूक के रूप में वर्गीकृत निवेश के लिए प्रावधान;

- निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (अंतर-स्कीम अंतरण/बिक्री के अलावा);

- निवेश के अंतर-स्कीम अंतरण/बिक्री पर हानियाँ;

- निवेश प्रबंधन शुल्क;

- एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपूर्ति;

- डिपॉजिटरी और निपटान शुल्क;

- इक्विटी लेनदेन पर दलाली

-स्टाम्प शुल्क

- अभिरक्षा शुल्क;

- केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण शुल्क

घटाव: केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण शुल्क के लिए इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि

-अन्य

टिप्पणी :

निवेश (लाभांश और ब्याज सहित) से प्राप्त राजस्व और आय की मान्यता के लिए लेखांकन नीति का प्रकटन एक टिप्पणी के माध्यम से किया जाएगा।

(IV). स्कीम अंकेक्षक की रिपोर्ट

i. अंकेक्षक यह उल्लेख करेंगे कि क्या;

क. उन्होंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उनके अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं;

ख. तुलनपत्र और राजस्व खाता, स्कीम के बही-खातों के अनुरूप हैं;

ग. क्या प्रत्येक स्कीम के लेखा-बही खातों का उचित रख-रखाव किया गया है;

- घ. संविदात्मक रूप से सहमत / प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीमाओं से अधिक सभी लेन-देन व्ययों को पेंशन निधि द्वारा वहन किया गया है और उनका प्रभार शुद्ध आस्ति मूल्य पर नहीं लगाया गया है;
- ङ. इस रिपोर्ट में शामिल स्कीम का तुलनपत्र और राजस्व खाता इन विनियमों और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार उस सीमा तक हैं, जहाँ तक विनियम लागू होते हैं।
- ii. अंकेक्षक इस बारे में अपनी राय देंगे कि क्या;
- क. वित्तीय वर्ष के अंत में तुलनपत्र एनपीएस/एपीवाई की स्कीम-वार स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है,
- ख. वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता एनपीएस/एपीवाई के स्कीमवार अधिशेष/घाटे का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।
- iii. अंकेक्षक यह सत्यापित करेंगे कि;
- क. निवेश का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है;
- ख. विभिन्न निकायों द्वारा किए गए लेन-देन और दावे/शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार हैं;
- iv. अंकेक्षक किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए स्कीम अंकेक्षण रिपोर्ट/स्कीम खातों के साथ "एनपीएस स्कीम - विस्तृत अंकेक्षण रिपोर्ट" (एनपीएस-डीएआर के रूप में संदर्भित) नामक एक अलग रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति पेंशन निधि बोर्ड को दी जाएगी। रिपोर्ट की विषय-वस्तु प्राधिकरण/एनपीएस न्यास द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आधारित होगी। पेंशन निधि के निदेशक मंडल द्वारा उन्हें विस्तृत अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एनपीएस-डीएआर सभी एनपीएस स्कीमों के लिए एक संयुक्त रिपोर्ट होगी। अंकेक्षक निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र देंगे;

सेवा में,

न्यासी बोर्ड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

.....

नई दिल्ली

हमने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्रदान की गई जाँच सूची के अनुसार.....(पेंशन निधि) की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निम्नलिखित स्कीमों की अवधि/वर्ष के लिए विस्तृत अंकेक्षण किया है और एनपीएस-डीएआर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

स्कीम	वर्ष/अवधि
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक ...
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से... 31 मार्च तक

हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

1. हमने, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, पूर्ण सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो, हमारी अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।
2. हमारी राय में, प्रत्येक स्कीम की लेखा-बहियों का उचित रखरखाव किया गया है।
3. हमारी कारवाई में अनुशंसित एनपीएस-डीएआर जांचसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। (संदर्भगत विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र संलग्न है।)
4. इसके अलावा, लेखा तैयार करने के लिए लागू लेखांकन सिद्धांतों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विचलनों का प्रकटन संलग्न रिपोर्ट में किया गया है।

पेंशन निधि द्वारा बनाए गए अभिलेख की परीक्षण जांच के आधार पर, हम निम्नानुसार सत्यापित करते हैं कि :

1. पेंशन निधि द्वारा अनुसरण की जा रही पद्धति, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं।
2. पेंशन निधि द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ हस्ताक्षरित निवेश प्रबंधन समझौते, पेंशन निधि विनियमों के पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
3. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
4. पेंशन निधि के क्रियाकलाप इस प्रकार संचालित किए जा रहे हैं जो अभिदाताओं के हित में हैं।
5. प्राधिकरण द्वारा संविदात्मक रूप से सहमत/अनुमोदित सीमाओं से अधिक हुए सभी लेन-देन व्यय, पेंशन निधि द्वारा वहन किए गए हैं और उन्हें एनएवी पर प्रभारित नहीं किया गया है।

भवदीय

कृते

..... (फर्म का नाम)

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या ...

..... (हिस्सेदार का नाम)

हिस्सेदार:

सदस्यता संख्या:

स्थान:

दिनांक:

(V) मुख्य आँकड़े

पेंशन निधि का नाम :

समाप्त वर्ष /अवधि के लिए मुख्य आंकड़े _____

विवरण	स्कीम ए		स्कीम बी	
	यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. एनएवी प्रति इकाई (रुपये):				
आरंभ				
उच्च				

निम्न				
समाप्ति				
2. प्रबंधन के अधीन समापित आस्तियां (लाख रुपये में)				
समाप्ति				
प्रबंधन के अधीन औसत आस्ति (एएयूएम)				
3. एएयूएम के प्रतिशत के रूप में सकल आय				
4. व्यय अनुपात :				
क. एएयूएम के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय (स्कीम-वार)				
ख. एएयूएम के प्रतिशत के रूप में प्रबंधन शुल्क (स्कीमवार)				
5. एएयूएम के प्रतिशत के रूप में शुद्ध आय				
6. पोर्टफोलियो कुल कारोबार अनुपात				
7. रिटर्न: (प्रतिशत)				
क. पिछला 1 साल				
बेंचमार्क				
ख. स्थापना के समय से (स्कीम लॉन्च की तारीख प्रदान करें)				
बेंचमार्क				
ग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)				
पिछले 3 साल				
पिछले 5 साल				
पिछले 10 साल				
1. सकल आय = राजस्व खाते में (क) में दर्शायी गई राशि यानी आय.				
2. शुद्ध आय = राजस्व खाते में (ग) में दर्शायी गई राशि अर्थात् वर्ष/अवधि के लिए शुद्ध प्राप्त लाभ/(हानि)				
3. पोर्टफोलियो में कुल कारोबार = वर्ष / अवधि के लिए औसत एयूएम से विभाजित बिक्री या खरीद का कम होना (अस्थायी तैनाती को छोड़कर)				
4. एएयूएम = औसत दैनिक शुद्ध आस्ति				
5. 'चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जानी है: प्रतिशत = $(1 + \text{संचयी रिटर्न})^{i/n} - 1$ (जहां $n = 365/\text{दिनों की संख्या और } i \text{ अवधि है})$				
6. एनएवी = (स्कीम द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान आस्तियों का मूल्य - वर्तमान देयता और प्रावधानों का मूल्य, यदि कोई हो) / {मूल्यांकन तिथि पर इकाइयों की संख्या (इकाइयों के सृजन / मोचन से पहले)}				
7. बेंचमार्क = स्कीम के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एनपीएस न्यास द्वारा दर्शाए गए स्कीम बेंचमार्क रिटर्न				

(VI) निदेशक के दायित्व का विवरण

पेंशन निधि के निदेशक, मुख्य परिचालन अधिकारी/प्रचालन प्रमुख यह प्रमाणित करेंगे कि :-

1. स्कीम के वित्तीय विवरण, पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. वार्षिक स्कीम खातों के निर्माण में, लागू लेखांकन मानकों का विनियमों द्वारा लागू सीमा तक अनुपालन किया गया है, साथ ही वस्तुगत विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
3. लेखा नीतियों का लगातार चयन/प्रयोग किया जाता रहा है और उनके द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 20XX को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित स्कीमों की स्थिति और उस अवधि के लिए स्कीमों के अधिशेष/घाटे के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
4. स्कीम तथा अभिदाताओं की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनको चिह्नित करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार खाता अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
5. स्कीम तथा प्रचालनों के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और उनका अनुसरण किया जा रहा है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और
6. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

(vii) संक्षिप्त तुलनपत्र और राजस्व खाता प्रारूप

संक्षिप्त तुलनपत्र

पेंशन निधि का नाम :

-----को समाप्त वर्ष /अवधि के लिए मुख्य आंकड़े

विवरण	स्कीम ए		स्कीम बी	
	यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
दायित्व				
1				
2				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3				
3.1				
3.2				
कुल				

आस्तियां					
1	निवेश				
1.1	इक्विटी				
1.2	डिबेंचर/बॉन्ड				
1.3	वैकल्पिक निवेश				
1.4	सरकारी प्रतिभूतियां				
1.5	मुद्रा बाजार				
1.6	अन्य				
1.7	सकल निवेश				
2	अन्य वर्तमान आस्तियां				
2.1	नकद और बैंक बैलेंस (शेष राशि)				
2.2	अन्य				
	कुल				

संक्षिप्त राजस्व खाता

पेंशन निधि का नाम :

-----को समाप्त वर्ष /अवधि के लिए मुख्य आंकड़े

		स्कीम ए		स्कीम बी	
		यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति	यथास्थिति
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	आय				
1.1	लाभांश				
1.2	ब्याज				
1.3	अंतर-स्कीम अंतरण पर प्राप्त लाभ				
1.4	निवेश की बिक्री/मोचन पर प्राप्त लाभ				
1.5	अन्य आय				
	उप-कुल (क)				
2	व्यय				
2.1	अंतर-स्कीम अंतरण पर प्राप्त हानि				
2.2	निवेश की बिक्री/मोचन पर प्राप्त हानि				

2.3	निवेश प्रबंधन शुल्क				
2.4	अभिरक्षा शुल्क				
2.5	एनपीएस न्यास व्यय प्रतिपूर्ति				
2.6	अन्य परिचालन व्यय				
	उप-कुल (ख)				
3	इस अवधि के लिए शुद्ध प्राप्त लाभ/(हानि) (क-ख = ग)				
4	निवेश के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यहास में शुद्ध परिवर्तन				
5	इस अवधि के लिए शुद्ध अधिशेष/(घाटा)				

निम्नलिखित निर्दिष्ट खातों पर टिप्पणियां

मार्गदर्शन टिप्पणी

- खातों पर टिप्पणियों में प्रकृति और संबंधित राशि को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण मदों का विवरण प्रदान करें।
- अप्राप्त मूल्यहास/मूल्यवृद्धि की गणना प्रत्येक आस्ति वर्ग द्वारा की जाएगी और समग्र आधार पर दर्शाई जाएगी। इसमें वर्ष/अवधि के लिए अप्राप्त मूल्यहास/मूल्यवृद्धि में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पिछले वर्ष के अंत में प्रदान किए गए अवास्तविक मूल्यहास/मूल्यवृद्धि को पुनः दर्शाया जाना चाहिए।

(VIII) खातों पर टिप्पणियां -लनपत्र और राजस्व खाते के अनुलग्नक

स्कीम का नाम :

खातों पर टिप्पणियां - समाप्त वर्ष /अवधि _____ के लिए संक्षिप्त तुलनपत्र और राजस्व खाते के अनुलग्नक

क्र. सं.	विवरण
1	निवेश -
	1.1. इस बात की पुष्टि करते हुए टिप्पणी करें कि स्कीमों का निवेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर हो।
	1.2. व्युत्पन्नों की आरंभिक स्थिति (वर्ष के अंत में शुद्ध आस्तियों के लिए बकाया बाजार मूल्य और प्रतिशत)
	1.3. सहयुक्तों और समूह कंपनियों में निवेश (जारीकर्ता, निवेश की प्रकृति, राशि, सभी प्रबंधित स्कीमों के तहत सकल निवेश का विवरण प्रदान करें)
	1.4. स्कीम द्वारा उधार ली गई और/या उधार दी गई प्रतिभूतियों की आरंभिक स्थिति
	1.5. निवेश ग्रेड से नीचे और/या चूक के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों का विवरण (जारीकर्ता का विवरण, निवेश की प्रकृति, खरीद लागत, निवेश का मूल्य (हेयरकट के बाद), आयोजित प्रावधान की राशि, अर्जित ब्याज पर लागू हेयरकट की राशि, उपरोक्त निवेश के लिए प्राप्त राशि (ब्याज और मूलधन) प्रदान करें
	1.6. वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में कुल अप्राप्त लाभ/हानि तथा शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत।
	1.7. खरीद और बिक्री का सकल मूल्य (निधियों की अस्थायी तैनाती को छोड़कर) प्रबंधन के तहत औसत आस्तियों के प्रतिशत के साथ

2	सहयुक्तों और समूह कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण (सहयुक्त का नाम, भुगतान की प्रकृति और राशि का विवरण प्रदान करें)
3	समाप्त अवधि/ वर्ष के दौरान इकाई पूंजी प्रचालन। इकाइयों में प्रचालन का स्कीमवार विवरण - आरंभिक, सदस्यता, मोचन, समापन। इकाइयों का स्कीमवार अंकित मूल्य दर्शाएं।
4	पिछले वर्ष से तुलना - एक उपयुक्त विवरण कि जब भी वर्तमान वर्षों की प्रस्तुति के अनुरूप आवश्यक हो तो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया जाए
5	आकस्मिक दायित्व : प्रकृति और राशि का विवरण प्रदान करें
मार्गदर्शन टिप्पणी :	
उपर्युक्त सभी प्रकटीकरणों के लिए पिछले वर्ष/अवधि के तदनुसूची आंकड़े प्रदान करें।	

(IX) लेखा नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने और शुद्ध आस्ति मूल्य की गणना करने के लिए पेंशन निधि द्वारा स्कीमों से संबंधित लेखा नीतियों का अनुपालन किया जाए :

1. पेंशन निधि को अपने स्कीमवार बही-खातों को उपार्जित आधार पर बनाना चाहिए। निवेश, प्राधिकरण द्वारा जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार, तुलन पत्र की तिथि या आस्ति मूल्य या शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना की तिथि पर बताया जाना चाहिए।
2. निवेश को अभिरक्षक के अभिलेखों के साथ तुलना किया जाना चाहिए और इकाइयों को दैनिक आधार पर केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के अभिलेख में शामिल किया जाना चाहिए।
3. मूल्यांकन तिथि तक अर्जित सभी स्वीकार्य व्यय और आय, जिन्हें आस्ति मूल्य/एनएवी की गणना के लिए माना जाता है, निवेश प्रबंधन शुल्क जैसे मुख्य व्यय और अन्य स्वीकार्य आवधिक व्यय जैसे अभिरक्षक शुल्क, एनपीएस न्यास व्यय प्रतिपूर्ति आदि को दैनिक आधार पर उपार्जित किया जाना चाहिए। उपार्जन की गणना के लिए विचारणीय अवधि वित्तीय वर्ष होगी।
4. किसी स्कीम द्वारा अर्जित लाभांश आय को, लाभांश घोषित होने की तिथि पर नहीं, बल्कि उस तिथि को जब शेयर को पूर्व-लाभांश आधार पर उद्धृत किया गया है, मान्यता दी जाएगी।
5. सभी ब्याज-वहन निवेशों के संबंध में, आय दैनिक आधार पर उपार्जित की जानी चाहिए। इसलिए, जब ऐसे निवेश क्रय किए जाते हैं, तो पिछले ब्याज देय तिथि से क्रय करने की तिथि तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए ब्याज को क्रय करने की लागत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ब्याज वसूली योग्य खाते में डेबिट (नामे) किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, बिक्री के समय प्राप्त ब्याज को पिछली ब्याज देय तिथि से बिक्री की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज को बिक्री मूल्य से अतिरिक्त के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ब्याज वसूली योग्य खाते में जमा किया जाना चाहिए।
6. निवेश की धारिता लागत और निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण करने हेतु, "भारित औसत लागत" विधि का पालन किया जाना चाहिए।
7. निवेश की खरीद या बिक्री के लिए लेनदेन को व्यापार (ट्रेड) तिथि के रूप में मान्यता दी जाएगी, न कि निपटान तिथि के रूप में, ताकि एक वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन किए गए सभी निवेशों का प्रभाव दर्ज किया जा सके और उस वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित हो सके। जहां निवेश संबंधी लेनदेन शेयर बाजार के बाहर होते हैं, उदाहरण के लिए, निजी नियोजन या क्रय या निजी संधि के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से अधिग्रहण, तो उस लेनदेन को खरीद की स्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए, जिस तिथि को स्कीम को कीमत का भुगतान करने के लिए एक प्रवर्तनीय दायित्व सौंपा गया हो या, बिक्री की स्थिति में, जब स्कीम बिक्री से प्राप्त आय एकत्र करने के लिए एक प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त करती है या बेचे गए उपकरणों को वितरित करने के लिए एक प्रवर्तनीय दायित्व प्राप्त करती है।
8. बोनस शेयर, जिसके लिए स्कीम हकदार हो जाती है, को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब मूल शेयर का, जिस पर बोनस पात्रता अर्जित की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में पूर्व-बोनस आधार पर लेनदेन किया जाता है। इसी

प्रकार, अधिकार हकदारी को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब मूल शेयर का, जिन पर अधिकार हकदारी अर्जित होती है, स्टॉक एक्सचेंज में पूर्व-अधिकार के आधार पर लेनदेन किया जाता हो।

9. निवेश की लागत में केवल स्टाम्प शुल्क और उस पर अनुमेय इक्विटी दलाली शामिल होंगे। निजी तौर पर रखे गए ऋण लिखतों के लिए, पेंशन निधि को दी जाने वाली किसी भी फ्रंट-एंड ब्रूट को निवेश की लागत से बाहर रखा जाएगा।
10. वे सभी कर जो लगाए जाने हैं और वास्तव में भुगतान किए जाने हैं, प्राधिकरण द्वारा अनुमत निधि के एनएवी में प्रभारित किए जाएंगे और अभिदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। इस खाते पर कोई भी धनराशि, यदि कोई हो, को आय के रूप में स्कीम / निधि में जोड़ा जाएगा।
11. निवेश प्रबंधन शुल्क में अनुमत इक्विटी लेन-देन पर दलाली और उस पर लागू करों के साथ अभिरक्षक प्रभार को छोड़कर सभी लेन-देन संबंधी प्रभार शामिल हैं। निवेश प्रबंधन शुल्क की गणना पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित दैनिक संपत्ति पर की जाती है। प्राधिकरण को देय शुल्क स्कीम से नहीं लिया जाएगा।
12. निवेश ग्रेड से नीचे के निवेश और चूक के रूप में वर्गीकृत निवेश के संबंध में, मान्यता, वर्गीकरण और प्रावधान प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में होंगे।”

XLIV. मुख्य विनियमों की अनुसूची VIII (बैंकिंग और केंद्रीय अभिलेखपालन करार) में, "विनियम 10 (1) (ग) चिह्न, शब्द तथा अंक" को "विनियम 10 (1) (घ)" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

XLV. मुख्य विनियमों की अनुसूची X (निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति) में भाग II के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“भाग III

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण समिति

भाग IV

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति”

XLVI. मुख्य विनियमों की अनुसूची XI (निवेश प्रबंधन करार प्रारूप) के अनुसार, एक नई अनुसूची XII (स्कीम शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना के लिए चित्रण) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाएगा :

"अनुसूची XII

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015

[विनियम 18(2) देखें।]

स्कीम शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना के लिए चित्रण

एनएवी गणना सूत्र

प्रति इकाई एनएवी =

शुद्ध संपत्ति

बकाया इकाइयां

1. शुद्ध आस्ति : स्कीम में किए गए निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देयता - दिन के लिए अंशदान-प्राप्तियां
2. वर्तमान देयताएं : इसमें स्वीकार्य शुल्क, देय मोचन, प्रतिभूतियों को क्रय करने के कारण भुगतान की जाने वाली धनराशि शामिल है।

3. **वर्तमान आस्तियां :** प्रतिभूतियों की बिक्री, उपार्जित ब्याज, लाभांश, बैंक खाते की शेष राशि (दिन के लिए अंशदान प्राप्तियों सहित) आदि के कारण प्राप्त होने वाली धनराशि।
4. **स्कीम द्वारा किए गए निवेश का बाजार मूल्य :** स्कीम में किए गए निवेश के मूल्य की गणना प्राधिकरण द्वारा जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार।
5. **बकाया इकाइयां :** मूल्यांकन तिथि पर बकाया इकाइयों की संख्या (पिछले कारोबारी दिन' के समापन पर इकाई)।
6. **दिन के लिए अंशदान प्राप्तियां :** दिन के लिए प्राप्त अंतर्वाह (अंशदान) का उपयोग दिन के लिए शुद्ध आस्तियों की गणना हेतु नहीं किया जाता है क्योंकि इस तरह के अंतर्वाह के अनुरूप इकाइयां निर्माण के लिए लंबित हैं।

एनएवी गणना का चित्रण (उदाहरण के लिए)

निवेश का बाजार मूल्य*	1,00,00,000		1,00,00,000
वर्तमान आस्ति *	5,00,000		5,00,000
दिन के लिए अंशदान प्राप्तियां	(1,00,000)	1,00,000	-
कुल आस्ति*	1,04,00,000		1,05,00,000
वर्तमान देयता*	(1,000)		(1,000)
शुद्ध आस्तियाँ	1,03,99,000		1,04,99,000
बकाया इकाइयाँ	9,99,000	9606.6930	10,08,607.6930
प्रति इकाई शुद्ध आस्ति मूल्य	10.4094		10.4094

* निवेश का मूल्य दिन के दौरान अपरिवर्तित रहता है।”

डॉ. दीपक महान्ती , अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./750/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9, के द्वारा दिनांक 19 मई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 168 में प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 343 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 48 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 14 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 169 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 139 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 25 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 202 में और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, संख्या 286 में प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2024

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2023**

No. PFRDA/16/3/29/0089/2017-REG-PF.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e) (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. In sub-regulation (1) of regulation 1 of the principal regulations, the objective of regulation shall be substituted as follows:

“The objective of the regulations is establishing, developing and regulating pension funds and protecting the interests of subscribers.”

II. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,**i. clause (b) ‘Business Day’ shall be substituted as follows:**

“(b) “business day” means days on which all of the following are operational to transact business-

- (i) designated Branch of Trustee Bank;
- (ii) stock exchange for equity and bond market; and
- (iii) Government securities market;”

ii. clause (c) shall be substituted as follows:

“(c) “compliance officer” means an employee of the pension fund designated as such by the Board of Pension Fund for compliance of the provisions of the Act, rules regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority;”

iii. after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(cc) “key personnel of the pension fund” shall include the chief executive officer, the chief investment officer, the chief risk officer, the chief information security officer, the head of operations and compliance officer, any other person designated by the board of the pension fund and such other personnel of the pension fund as may be instructed to be so designated, by the Authority;”

iv. clause (d) shall be deleted;**v. after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:**

“(ea) “pension Scheme” for the purpose of this regulation shall mean the pension scheme defined under section 12 of the Act, and includes Atal Pension Yojana administered by the Authority;”

vi. clause (f) shall be substituted as follows:

“(f) (i) “principal officer of the pension fund” means the board of directors, key personnel and any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more directors is or are accustomed to act as such;

(ii) “principal officer of the sponsor” shall mean its key managerial personnel as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013;”

vii. clause (g) shall be substituted as follows:

“(g) “networth” shall mean as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013;”

viii. clause (h) the definition of ‘sponsor’ shall be substituted as follows:

“(h) ‘‘sponsor’’ means a body corporate who holds twenty per cent. or more of paid-up equity capital in the pension fund and qualifies the eligibility conditions specified for a sponsor;’’

III. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;**IV. Regulation 3 of the principal regulations shall be deleted;****V. Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**4. Application for registration and application fee.**-(1) An applicant desirous to act as a sponsor of a pension fund, may submit an application as and when the selection process for appointment is initiated by the Authority, upon fulfilling of: -

- (a) the eligibility conditions specified under these regulations; and
- (b) such other conditions laid down in the selection process whenever initiated.

(2) The application shall be made in the format as provided in the selection process for appointment and accompanied by a non-refundable application fee along with applicable taxes and levies thereon as specified in Schedule III.”

VI. Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**5. Application to conform to requirements.**- (1) An application under regulation shall be liable to be rejected on any of the following grounds: -

- (a) is incomplete and does not contain such information as sought by the Authority;
- (b) does not conform to the provisions of the Act regulations, guidelines, circulars, directions and other instructions, issued by the Authority;
- (c) is incorrect, false or misleading in nature or omits to disclose material information;
- (d) does not fulfil on the date of the application, the eligibility criteria specified under these regulations and as laid down under the selection process so initiated; or
- (e) in the view of the Authority is not in the interest of the public or subscribers or the orderly growth of pension schemes.

(2) Before rejecting an application on the grounds referred to in sub-regulation (1), the Authority may inform the applicant to remove the deficiencies within the time provided.

(3) Where the applicant submits false or misleading information or omits to disclose material information, the application shall be rejected and further no application shall be considered for a period of one year from such rejection.”

VII. Regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**6. Furnishing of information or clarification.**- (1)The Authority may require the applicant to furnish any additional information or clarification, within the time granted , for consideration of the application.

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority within the time granted , including making of presentation to the Authority, if so required.

(3) The applicant shall submit to the Authority any material change in the information furnished during pendency of the application, within fifteen days of occurrence of such change.”

VIII. Regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**7. Verification of information.**- (1) While considering the application, the Authority may verify the information submitted in any manner including physical verification of documents, office space, infrastructure and technological capabilities, which the applicant is required to possess.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), the Authority may engage the services of any person or instruct any of its officers to do so.”

IX. Regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**8. Eligibility criteria.**- (1) An applicant on the date of its application, shall satisfy the following criteria to act as a sponsor of a pension fund.-

- (a) have at least five years’ experience of fund management (comprising of both equity and debt);

(b) is engaged in financial business activity and regulated by Reserve Bank of India, or Securities and Exchange Board of India, or Insurance Regulatory and Development Authority of India;

(c) intended joint ventures are eligible to apply provided one or more of the joint venture partner(s) fulfil the eligibility criteria to act as a sponsor on the date of making the application. The applicant(s) while making the application shall submit a binding memorandum of understanding between the partners of the intended joint venture, that upon acceptance of the application as sponsor, a pension fund shall be established;

(d) individually or jointly have a positive net worth of at least fifty crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years and at least twenty-five crore rupees of paid-up equity capital on the date of application;

(e) have profit after tax in at least three of the preceding five financial years and no cash losses in the last preceding five financial years.

Explanation.- Cash loss means (i) In case of a company preparing its financial statements in accordance with accounting standards (AS), the figure of net profit/loss after taxes shown by the statement of profit and loss is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature such as depreciation, amortization, and impairment loss or its reversal. (ii) In case of a company preparing its financial statements in accordance with Indian accounting standards (Ind AS), the figure of profit or loss (excluding other comprehensive income) shown by the statement of profit and loss is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature such as depreciation, amortization and impairment loss or its reversal.;

(f) fulfil the additional terms and conditions of the selection process initiated by the Authority; and

(g) the applicant and its principal officer(s) is a 'fit and proper person' as specified in Schedule II.

(2) The sponsor of a pension fund, upon being permitted by the Authority, shall:

(a) incorporate a pension fund as a company under the Companies Act, 2013 and shall have the name 'Pension Fund' incorporated in its name clause.

Provided that pension fund(s) already registered with Authority shall comply with the provisions of this clause within a period of twelve months from the date of notification of these amendment to regulations;

(b) ensure that the pension fund maintains a minimum net worth of fifty crore rupees at all times;

(c) ensure that the aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed seventy four per cent. of the paid-up capital of such fund or such percentage as may be approved for an Indian Insurance Company under the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), whichever is higher. The calculation of foreign investment for this purpose shall be done in accordance with the relevant rules notified by the Central Government or the regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority for the said purpose;

(d) ensure that the pension fund shall have the ability to provide minimum assured return scheme as per the Act;

(e) ensure that atleast fifty per cent. of the directors of the pension fund are independent directors;

(f) not have control or hold any equity stake directly or through its subsidiary company in any other pension fund regulated by the Authority.

Explanation: control means as defined under section 2(27) of the Companies Act, 2013;

(g) ensure that no director on the board of a pension fund shall be a director on the board of any other pension fund registered with the Authority;

(h) not have control or hold twenty per cent. or more equity capital in either the central recordkeeping agency or custodian or trustee bank;

(i) facilitate the pension fund with necessary infrastructure, dedicated manpower, information technology, systems and procedures with capabilities to adapt to future changes for undertaking the activity of pension fund.

Provided that the pension fund after twelve months from the date of commencement of business shall perform its obligations, independently with dedicated manpower, infrastructure, information technology, systems and procedures;

(j) ensure that atleast fifty per cent. of the directors of the pension fund have professional experience in financial services and related field;

(k) ensure that the key personnel of pension funds have relevant qualifications and experience in the requisite fields;

Provided that an officer of the pension fund who is key personnel, may, after approval of the Authority, be designated to perform the functions of another key personnel; and

(l) ensure that pension fund and its principal officer(s) is a 'fit and proper person' as specified in Schedule II.

(3) An applicant not fulfilling any of the criteria specified in clause(g) of sub-regulation (1) and clause (f) to (l) of sub-regulation (2), may seek an exemption from the Authority citing reasons therefor.

(4) Nothing in these regulations, shall confer the applicant any right to be granted any exemption sought for.

(5) The Authority may in interest of the subscribers for reasons to be recorded in writing, grant such exemption. The Authority may in such circumstances impose such additional conditions as it may deem fit for grant of certificate of registration.

(6) The decision of the Authority, as to whether any applicant satisfies the eligibility criteria shall be final.

(7) Mere submission of an application or satisfaction of eligibility criteria shall not confer the applicant any vested right to act as a sponsor of a pension fund."

X. Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:-

"9. Procedure for grant of certificate of registration, registration fees and period of validity of certificate of registration.- (1) An application received in response to the Authority's invitation for selection of sponsor of a pension fund, shall be evaluated in accordance with the eligibility criteria specified in these regulations and the selection process as laid down in the guidelines.

(2) (a) The Authority upon being satisfied that the applicant is eligible to be a sponsor of a pension fund, it may, subject to such terms and conditions, as it may determine, issue a letter of appointment to the applicant to establish a pension fund.

(b) Upon establishment of the pension fund (by satisfying the eligibility criteria) and on receipt of the non-refundable registration fee along with applicable taxes and levies thereon from sponsor as specified in Schedule III, the Authority may grant a certificate of registration to the pension fund in the format as specified in Schedule I with intimation to the sponsor.

(3) The certificate of registration granted to a pension fund shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority.

(4) The pension fund shall commence its operations within a period of six months from the date of grant of certificate of registration. Any extension in the time limit, beyond six months, may be permitted by the Authority upto another period of six months for reasons to be recorded in writing.

(5) The sponsor shall obtain necessary approvals for establishment and functioning of pension fund from such authorities, as may be required."

XI. After Regulation 9 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"9A. Terms and conditions of registration.- (1) The certificate of registration granted to a pension fund shall be subject to the following conditions, namely.-

(a) the sponsor and the pension fund shall comply at all times with the eligibility requirements as specified under the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority. Any material change in the information or particulars previously furnished, which have an adverse bearing on its certificate of registration shall be informed to the Authority within a period of fifteen days;

(b) the sponsor and the pension fund have taken necessary actions and steps to accept the registration as pension fund for managing the pension schemes and bind themselves for the due performance of their obligations;

(c) the pension fund shall maintain a minimum net worth of fifty crore rupees;

(d) the sponsor and pension fund shall keep the interest of subscribers' paramount in all matters while managing the pension schemes and shall avoid any conflict of interest or any undue benefit to sponsors, directors of the pension fund or associated persons or a special class of subscribers;

(e) the pension fund shall take adequate steps and exercise prudence and due diligence to ensure that the interests of subscribers are protected;

(f) the pension fund shall execute such agreements with the parties as specified under these regulations or as directed by the Authority and shall comply with the terms of the agreements so executed;

(g) the pension fund shall maintain confidentiality with respect to all transactions, records, data and information received while discharging its obligations and shall not, without the prior permission of Authority, produce or share such data or information as evidence or for any other purpose except as required under the process of law or as directed by the Authority or the National Pension System Trust;

(h) the sponsor and the pension fund shall comply with the provisions of the Act, the rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority, at all times including, during the period of suspension of the certificate of registration, as also during the transitory phase of transfer of assets or documents till completion of all actions as specified under regulation 34;

(i) the pension fund shall ensure the dissemination to Authority, National Pension System Trust, subscriber and other intermediaries of adequate, accurate, explicit and timely information presented in simple language about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the pension schemes, they are managing. The pension fund shall communicate requisite information including, as specified in Schedule V in the format and periodicity as may be determined by the Authority to the subscribers;

(j) the sponsor shall periodically review the desirability or continuance of the pension fund. If substantial irregularities are observed in any of the pension schemes, sponsor shall immediately report to the Authority of any special developments in the pension fund;

(k) (i) prior approval of the Authority shall be obtained by the sponsor (or by the entity proposing to become a sponsor) or pension fund as applicable for change in the shareholding pattern or control in the pension fund where:

(a) the status as sponsor of pension fund is likely to undergo a change;

(b) the pension fund is likely to cease to be a government company; or

(c) any change (in accordance with guidelines issued) in foreign holding in the pension fund attracting restriction under Section 24 of the Act;

(ii) prior approval of the Authority shall be obtained by the sponsor and pension fund, as applicable, for proposed change in its shareholding pattern in excess of five per cent.

Provided that any other change in shareholding pattern of the pension fund, other than the above shall be informed to the Authority, within seven days by the pension fund;

(iii) any change in key personnel or principal officer of the pension fund shall be reported to the Authority within fifteen days.

Explanation.— “Government company” shall mean as defined under section 2(45) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(l) the pension fund shall comply with the ‘Code of Conduct’ specified in Schedule VI;

(m) the pension fund shall not delegate any core function to any third party. Delegation of any non-core function shall be done only with the prior approval of the Authority;

(n) the pension fund shall not engage in any other activity except those relating to pension schemes or funds regulated by the Authority;

(o) the pension fund shall comply with the cyber security policy, outsourcing policy, common stewardship code, Prevention of Money Laundering Act (PMLA) to the extent applicable to it, valuation guidelines, broker empanelment, auditor appointment and voting policy on assets held in the name of National Pension System Trust, issued by the Authority for the purpose;

(p) the pension fund shall not hold any direct equity stake in any other pension fund regulated by the Authority;

(q) the pension fund shall not have control or hold twenty per cent. or more equity capital in either the central recordkeeping agency or custodian or Trustee Bank; and

(r) the pension fund shall provide minimum assured return scheme in accordance with the notification of the said scheme by the Authority.”

XII. Regulation 10 of the principal regulations, shall be substituted as follows:

“**10. Documentation with intermediaries.**- (1) Before commencement of operations, the pension fund shall *inter alia* execute the following agreements:-

(a) Investment Management Agreement with the National Pension System Trust as specified in Schedule XI;

(b) Non-Disclosure Agreement with the National Pension System Trust;

- (c) agreements with custodian as specified in Schedule IX;
- (d) enter into arrangements with central recordkeeping agency and Trustee Bank as specified in Schedule VIII; and
- (e) any other agreement or arrangements with intermediaries as may be specified by the Authority.

(2) In case of any divergence between the intermediaries on the interpretation of the agreements, the same shall be forwarded for such determination by the Authority, whose decision shall be final and binding.

(3) The pension fund shall obtain necessary approvals from such authorities, under applicable laws and shall comply with the documentation requirements with other intermediaries pertaining to opening of accounts, authorizing signatories, obtaining digital signatures, providing connectivity, software installation and other like matters, so that it suffers no disability under law or otherwise to act as pension fund.”

XIII. Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**11. Commencement of business.**- (1) Upon completion of documentation by the pension fund and other related activities for commencing its operations, the pension fund shall seek certificate of commencement of business from the Authority.

(2) At the time of seeking the certificate of commencement of business, pension fund shall warrant that it has the necessary approvals and permission to act as a pension fund and suffers from no disability in law or otherwise, to act as such.

(3) The Authority upon being satisfied that the pension fund is equipped to commence its operations for managing the pension schemes, may issue “certificate of commencement of business” to the pension fund in the format specified in Schedule IV pursuant to which the pension fund shall operationalize its activity(s).”

XIV. Regulation 12 of the principal regulations shall be deleted;

XV. Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**13. Annual Fee.**- The pension fund shall deposit with the Authority, by 10th day of subsequent month of each quarter or within ten days of grant of certificate of registration, the annual fee along with applicable taxes and levies thereon, as specified in Schedule III or as may be determined by the Authority.”

XVI. Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**14. Schemes and investment guidelines.**- (1) The pension fund shall manage the pension schemes in accordance with the investment guidelines issued by the Authority for the benefit of subscribers.

(2) No pension fund shall, directly or indirectly invest outside India, the funds of subscribers.

(3) There shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except under market-based guarantees mechanism to be purchased by the subscriber.

(4) The subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes as may be notified by the Authority.

(5) The pension fund shall provide an option to subscribers for investing in different asset classes as notified by the Authority including one hundred per cent. in Government securities.”

XVII. Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**15. Valuation of scheme assets.**- The assets or securities held in the name of National Pension System Trust and managed by pension funds under the pension schemes shall be valued in accordance with the valuation guidelines issued by the Authority.”

XVIII. Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**16. Prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning.**- (1) In respect of assets or securities below investment grade, the recognition of income, its classification and provisioning shall be in compliance with the guidelines issued by the Authority.

(2) The pension fund shall monitor the identified below investment grade assets or securities and initiate recovery measures for such assets in association with National Pension System Trust and report to the Authority.”

XIX. Regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**17. Books of accounts and records.**- (1) The pension fund shall maintain books and records of the operation of pension schemes and ensure compliance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, the Companies Act,

2013, and any other law and provide information in such mode and manner, as may be determined by the Authority.

(2) The pension fund shall maintain proper books of accounts, records and documents, for each scheme so as to give a true and fair view of the state of affairs of the schemes and shall intimate to the Authority and National Pension System Trust, the place where such books of account, records and documents are maintained, if not maintained at the registered office of the pension fund. Pension fund shall be solely responsible for the maintenance and correctness of books of accounts, records and documents.

(3) The pension fund shall follow the accounting policies as determined by the Authority.”

XX. Regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**18. Net asset value (NAV) for schemes.**- (1)The face value of each unit of the pension schemes shall be ten rupees.

(2) The pension fund shall compute the net asset value of each scheme by dividing the net assets of the scheme by the number of units outstanding as on the date of valuation.

Explanation:- Net assets means value of the scheme assets derived as per valuation guidelines, accruals less allowable charges (payables/outstanding);

(a) allowable charges shall include:

(i) investment management fees as determined through the selection process;

(ii) custodian fees as determined through the selection process and depository and settlement charges as per actuals;

(iii) brokerage charges upto 0.03% on equity transactions or as permitted by the Authority;

(iv) National Pension System Trust charges as allowed by Authority; and

(v) applicable taxes and levies thereon.

The methodology for NAV calculation shall be as provided in Schedule XII.

(3) The pension fund shall calculate and declare the NAV of units for each pension scheme at the close of each business day within the time determined by the Authority.

(4) The pension fund shall create or redeem units at the declared NAV for each business day based on instructions received from central recordkeeping agency for contributions receipts and redemption requests.

(5) The pension fund shall be responsible for the computation of scheme NAV and its communication to central recordkeeping agency based on which units are allocated or redeemed to subscribers by central recordkeeping agency.”

XXI. Regulation 19 of the principal regulations shall be substituted with the follows:

“**19. Investment management fee.**- (1)The pension fund shall be entitled to charge an investment management fee from the corpus of the pension schemes for the services rendered.

(2) The mode and manner of charging the investment management fee shall be determined by the Authority and shall be subject to such revision as deemed necessary in subscribers’ interest and for orderly growth of the pension schemes.”

XXII. Regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**20. Annual Report and Auditors Report.**- (1) The pension fund shall prepare an annual report in respect of each financial year as detailed in Schedule VII, in a true and fair manner, in compliance with these regulations and guidelines issued by the Authority;

The appointment of statutory auditor by the pension fund and scheme auditors by National Pension System Trust shall be in compliance of the guidelines and circulars issued by the Authority.

(2) The pension fund shall get the financial statements of the pension schemes audited in the manner determined by the Authority and the auditor’s report shall form a part of the annual report of the pension fund. The scheme auditors shall independently report to the National Pension System Trust.

(3) The pension fund shall

(a) within sixty days from the date of closure of each financial year submit to National Pension System Trust for approval the annual report (inclusive of financial statements of the pension schemes and auditor report) duly

approved by the board of directors of pension fund. The board of trustees of the National Pension System Trust shall thereafter approve and counter sign the financial statements of the pension schemes.

(b) resolve the observations of the National Pension System Trust, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt.

(c) submit the annual report to the Authority within ninety days from the date of closure of each financial year.

(4) Every balance sheet and revenue account of the pension schemes shall be in conformity with the Accounting Standards as notified under Companies Act, 2013, from time to time except AS 3 (Cash Flow Statement) and AS 17 (Segmental Reporting) to the extent applicable to pension schemes and not inconsistent with these regulations.

(5) The annual report and portfolio details of each scheme shall be prominently placed on the website of the pension fund after approval of the National Pension System Trust, within ninety days from the date of closure of each financial year.

(6) The scheme wise annual report or an abridged summary thereof shall be provided by the pension fund to the central recordkeeping agency for onward transmission to subscribers. The abridged summary to subscribers shall carry a note that the annual report is available on the website of the pension fund and the weblink page of the annual report shall be shared with central recordkeeping agency.

(7) The annual report shall be available for inspection at the head office of the pension fund and a copy thereof shall be made available to any subscriber on payment of such nominal fee, not exceeding two hundred rupees.

(8) The pension fund shall within one month from the close of each half year that is 31st March and 30th September, disclose its scheme wise unaudited financial statements along with statement of scheme portfolio on its website.

(9) The half-yearly unaudited report referred in sub-regulation (9) shall contain such details, which are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of scheme, as determined by the Authority.

(10) The annual report of schemes managed by the pension fund shall include Directors' responsibility statement, certificate by CEO and head of operations, which shall include a declaration in respect of following key responsibilities:

(a) preparation and presentation of scheme financial statements provide a true and correct view of scheme state of affairs and scheme NAV;

(b) adequacy and effectiveness of internal financial processes and digital architecture controls;

(c) compliance with Act, rules regulations, Investment Guidelines, Valuation Guidelines, Stewardship code, voting policy and other applicable laws; and

(d) adherence to Code of Conduct.”

XXIII. Regulation 21 of the principal regulations shall be deleted;

XXIV. Regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“22. Duties and functions of pension fund.- (1)The management of pension schemes shall be carried in accordance with the objective of the schemes, provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority and the provisions of the National Pension System trust deed, within the timelines determined by the Authority and the National Pension System Trust.

(2) The day-to-day management of the pension schemes shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

(3) The pension fund shall, at all times render high standards of fund management services, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension fund shall avoid speculative investments or transactions.

(4) The pension fund shall employ qualified, trained professionals and employees with integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees, agents or authorised persons whose services have been procured and be independently accountable and liable for their acts. The liability shall survive despite the suspension or cancellation of certificate of registration of the pension fund or such action that may be taken by the Authority, for protection of the interest of the subscribers.

(5) The pension fund shall co-ordinate its activities with other intermediaries and permitted entities and *inter alia* enter into agreements, have technological platforms for undertaking its functional obligations.

- (6) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to investment decisions and the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars and other instructions issued by the Authority and facilitate audit trail of transactions and ensure business continuity at all times.
- (7) The pension fund shall submit periodical compliance reports as required under these regulations, guidelines and circulars, or as may be called for by the Authority, or the National Pension System Trust.
- (8) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner specified in Schedule V or as may be determined by the Authority.
- (9) The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management viz. constitution of Investment Committee and Risk Management Committee, whose composition, functions and duties shall be such as specified in Schedule X and also constitute an Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee.
- (10) The pension fund shall prevent conflict of interest that may arise while discharging its obligations as a pension fund and report such instances to the National Pension System Trust.
- (11) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund activities from activities of its sponsors.
- (12) The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control and share such information with the Authority or National Pension System Trust or any other intermediary or as may be required under the provisions of any other law.
- (13) The pension fund shall provide such representations and warranties and act in accordance with the same, as may be necessary for the protection of subscribers' interest.
- (14) The pension fund shall pay fees, charges, levies and security deposit as may be determined by the Authority.
- (15) The pension fund shall be subject to review of its operations and performance by the National Pension System Trust.
- (16) The pension fund shall be subject to audit of pension schemes by the National Pension System Trust.
- (17) The pension fund shall be subject to other audit and inspection by the Authority.
- (18) The pension fund which is registered as a point of presence (PoP), shall maintain separate infrastructure, manpower, accounts including details of revenue and expenditure in order to maintain arm's length distance from its fund management activities.
- (19) The pension fund shall comply with the disclosure requirements as applicable to a public company under the Companies Act, 2013 for adopting best governance practices and the compliance officer shall ensure such compliance.
- (20) Upon notification by the Authority of the scheme under section (20)(2)(d) (b) of the Act, pension fund shall offer such schemes within the timeline specified by the Authority.
- (21) The Pension Fund shall:
- (i) take all measures necessary for prevention of fraud, develop and follow a fraud prevention and mitigation policy in accordance with guidelines issued by Authority;
 - (ii) lay down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and
 - (iii) make provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of the pension fund, which has been established."

XXV. Sub-regulation (1) of Regulation 23 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"23. Monitoring, review and evaluating systems and controls.- (1) The pension fund shall have mechanisms for reviewing, monitoring and evaluating the controls, systems, procedures and safeguards."

XXVI. Regulation 24 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"24. Appointment of compliance officer.- (1)The pension fund shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report any non-compliance observed to the Authority and the National Pension System Trust.

(3) The compliance officer shall prepare a compliance certificate stating that pension fund has complied with all applicable laws and regulations, have such certificate approved by the board of pension fund and submit the same to the Authority, with observations of the board, if any.”

XXVII. Regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“25. Information to Authority or National Pension System Trust.- (1) The Authority or the National Pension System Trust may, call for any information from a pension fund.

(2) It shall be the duty of the pension fund to furnish such information within such period as the Authority or the National Pension System Trust may determine.”

XXVIII. Sub-regulation (1) and (2) of Regulation 26 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“26. Inspection and audit.- (1) The Authority shall inspect pension fund at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time as it deems fit undertake directly or appoint an auditor or through its authorized representative conduct an inspection or audit of the books, accounts, records including the call records and electronic records and documents of a pension fund for the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include:

(a) ascertaining the infrastructural capabilities, systems and procedures;

(b) ensuring that the books of account, records including electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

(c) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the pension fund;

(d) ascertaining whether the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority are being complied with;

(e) inquiring into the complaints received from subscribers, intermediaries, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the pension fund; or

(f) inquiring suo motu into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.”

XXIX. Regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“27. Notice before inspection or audit.- (1) Before undertaking an inspection or audit under this chapter, the Authority or its authorized representative or the auditor shall give ten working days’ notice to the pension fund.

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is for immediate safe guarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the pension fund, whose inspection or audit is being carried out, shall continue to discharge its obligations as provided in these regulations.”

XXX. Sub-regulation (1) of regulation 28 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“28. Obligations on inspection and audit.- (1) It shall be the duty of the pension fund, which is being inspected or audited, and of every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish such statements and information relating to its activities, within such time as may be provided.”

XXXI. Regulation 29 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“29. Procedure of audit.- The manner in which the internal audit, scheme audit, concurrent audit and other audits of the pension fund shall be conducted will be as determined by the Authority.”

XXXII. In regulation 30 of the principal regulations after sub-regulation (2), a new sub-regulation (3) shall be inserted as follows:

“(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority.”

XXXIII. Regulation 33 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“33. Cancellation or suspension of certificate of registration.- (1) Where a pension fund or its sponsor:-

(a) fails to comply with any of the terms and conditions of the certificate of registration or the letter of appointment as the case may be;

- (b) contravenes the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued;
 - (c) has its business transferred to or amalgamated with another pension fund or sponsor without the prior approval of the Authority;
 - (d) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act;
 - (e) fails to pay the fee payable to the Authority along with applicable taxes;
 - (f) ceases to carry on activity or voluntarily applies to withdraw the certificate of registration granted by the Authority;
 - (g) fails to observe or perform any representation, warranty or undertaking given by it or fails to correct any breach or failure within the timeliness provided by the Authority to do so;
 - (h) indulges in unfair trade practices or fraudulent practices or conducts its business in a manner prejudicial to the orderly growth of the pension schemes or adversely affecting the interests of subscribers;
 - (i) does not co-operate in any inquiry conducted by the Authority;
 - (j) submits to the Authority a false statement or information which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Authority or the subscribers or any intermediary;
 - (k) does not submit periodical returns as required by the Authority;
 - (l) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its pension activity;
 - (m) undergoes a change in the ownership, management or key personnel which in the opinion of the Authority adversely affects the interest of the subscribers;
 - (n) generates returns significantly and consistently below market or peer benchmarks;
 - (o) fails to honour the guarantee assured to subscriber under the minimum assured return scheme referred to under section 20(2)(d)(b) of the Act; or
 - (p) fails to comply with any directions issued by the Authority in the interest of the subscribers or the orderly growth of the pension scheme.
- (2) The Authority may, by order, without prejudice to any other action, suspend or cancel the certificate of registration, or pass any order or direction, as may be deemed appropriate.
- (3) No order of suspension or cancellation of registration shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard under an inquiry conducted as per the regulations.”

XXXIV. After Regulation 33 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:- :

- “33A. Surrender of certificate of registration.-** (1) A pension fund may surrender its certificate of registration by making a request to the Authority.
- (2) For consideration of such request, the Authority may require the pension fund to satisfy the following—
- (a) arrangements made by it for transfer of records, funds or securities of the subscribers as directed by the Authority, at its own cost and expense and ensure continuity of service to subscribers;
 - (b) rectifying the defaults and pending actions, if any;
 - (c) redressal of subscriber grievances; and
 - (d) any other measures to be taken in the interest of the subscribers.
- (3) While considering the request for surrender, the Authority may impose such conditions upon the pension fund as it deems fit for the protection of interest of the subscribers.
- (4) No request for surrender shall be entertained from a pension fund in respect of which any investigation, inquiry or adjudication has been initiated or is contemplated by the Authority.
- (5) No surrender shall be permitted unless the Authority is satisfied that the pension fund has complied with or has taken steps to comply with the requirements under sub-regulation (2) and other conditions, if any, under sub-regulation (3).
- (6) Where the Authority has accepted the request for surrender, it shall cancel the certificate of registration granted to the pension fund and the letter of appointment issued to sponsor and inform them within seven

working days and place such information on its website and also direct the entity to place the information on its website and disseminate the information, in such manner, as may be required.”

XXXV. Regulation 34 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**34. Effect of suspension or cancellation of certificate.**- (1) On and from the date of suspension of the certificate of registration, the pension fund shall, where directed-

(a) cease to transact fresh business under the National Pension System or other pension schemes, as the case may be;

(b) take such action in respect of the assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the pension fund, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority;

(c) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another pension fund in the form and manner as may be directed by the Authority;

(d) the pension fund or sponsor where applicable shall at its cost and expense provide all the necessary support in ensuring smooth transfer of all the assets under its management and where required by the National Pension System Trust or the Authority, make such public announcement or disclosure as may be conducive to subscriber’s interest, regarding such transfer of assets. It shall also ensure that the transfer of all the relevant documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority;

(e) the transfer of such assets shall be undertaken in accordance with the guidelines or instructions that may be issued by the Authority; and

(f) the sponsor or pension fund shall be subject to the directions of the Authority until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, the concerned pension fund shall-

(a) cease to carry on and wind up its affairs *qua* the activities in respect of which registration has been granted;

(b) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and inform such other agencies, as may be directed by the Authority with regard to the said fact and disseminate the information on its website and in such other manner as may be directed;

(c) carry out any other directions within the time limits given by the Authority, and report compliance of the same; and

(d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it.”

XXXVI. In Schedule I (Certificate of Registration) of the principal regulations, the symbols, words and numerals,

i. “regulation 3(1)” shall be substituted with “regulation 9(2)(b)”; and

ii. “See regulations 9(2)” shall be substituted with “see regulation 9(2)(b)”.

XXXVII. Schedule II (CRITERIA FOR ‘FIT and PROPER’) of the principal regulations, shall be substituted as follows:-

“SCHEDULE II

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[see regulations 8(1)(g) & 8(2)(1)]

CRITERIA FOR ‘FIT AND PROPER’

For determining whether the applicant or the sponsor or the pension fund or their principal officer is a 'fit and proper person', the Authority may take into account any factors as it deems fit, including but not limited to the following criteria:

(Part-A)

(a) financial integrity;

(b) absence of convictions or civil liabilities;

(c) competence;

(d) good reputation and character;

- (e) efficiency and honesty; and
(f) financial solvency and net worth.

(Part-B)

A person shall not be considered as a "fit and proper person" if any of the following disqualifications are incurred:-

- (1) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Authority and which is pending;
- (2) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (3) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Authority or any financial regulator or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets or insurance law and a period of three years from the date of expiry of period specified in the order has not elapsed;
- (4) license or registration has been cancelled by any financial sector regulators during last five years;
- (5) recovery proceedings have been initiated by the Authority against such person and are pending;
- (6) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (7) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (8) any insolvency proceeding is pending against such person or where he has been declared insolvent and not discharged;
- (9) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (10) such person has been categorized as a willful defaulter;
- (11) such person has been declared a fugitive economic offender;
- (12) there is an order or notice of any action or investigation or other proceedings of any nature whatsoever, against the person by any governmental or statutory authority which would restrain, prohibit or otherwise challenge or impede the performance of obligations and that there is adverse proceedings against it from any financial sector regulator including the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority or the Securities and Exchange Board of India, of a nature that could adversely affect the ability to provide the services as sponsor; or
- (13) any other disqualification as may be specified by the Authority.”

XXXVIII. PART A of Schedule III (Fees payable under the regulations) of the principal regulations shall be substituted as follows:

“SCHEDULE III**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) REGULATIONS, 2015**

[see regulations 4(2), 9(2)(b) and 13]

FEES PAYABLE UNDER THE REGULATIONS**PART A****AMOUNT TO BE PAID AS FEES**

S No	Type of fee	Amount	Nature and calculation	Time of payment
1.	Application Fee	Rs 10,00,000 along with applicable taxes and levies thereon	Non-Refundable Flat Rate	At the time of submission of application for acting as sponsor of pension fund
2.	Registration fee	Rs 25,00,000 along with applicable taxes and levies thereon	Non-Refundable Flat Rate	At the time of grant of certificate of registration

3.	Annual fee	As determined by the Authority from time to time, subject to minimum Rs 10,00,000 per annum (Rs 2,50,000 per quarter or part thereof), along with applicable taxes and levies thereon.	Non-Refundable % of AUM The amount of assets under management shall be considered on the last day of preceding quarter	By 10th day of subsequent month of each quarter or within ten days of grant of certificate of registration, payable on quarterly basis.”
----	------------	--	--	--

XXXIX. In Schedule IV (CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS) of the principal regulations, the words “CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS” shall be substituted with “CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS”.

XL. In Schedule V (Reports and Disclosure) of the principal regulations, the symbols, words and numerals, “See regulations 12(h) and 22(8)” shall be substituted with “see regulations 9A(1)(i) and 22(8)”.

XLI. In Schedule VI (Code of Conduct) of the principal regulations, the symbols, words and numerals, “See regulations 12(k) and 21” shall be substituted with “see regulation 9A(1)(l)”.

XLII. After clause (d) in Part III (DISCLOSURE OF INFORMATION) in Schedule VI (CODE OF CONDUCT) of the principal regulations, a new clause (e) shall be inserted, namely.-

“(e) A pension fund shall disclose the scheme returns in the manner and in the format as available in public domain hosted by National Pension System Trust. For the purpose of scheme performance comparison amongst its peers, pension fund shall use the returns for only those dates for which returns are published by National Pension System Trust and shall disclose the returns of all pension funds. In case of pension fund desires to disclose returns of its own scheme only, in such case benchmark return for the scheme shall also be disclosed and no ranking amongst its peers shall be provided”.

XLIII. Schedule VII (FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT REPORT) of the principal regulations shall be substituted as follows:

**“SCHEDULE VII
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015
[See regulation 20]
FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT REPORT
ANNUAL REPORT**

(I). Annual Report

The annual report shall contain—

- (i) Report on the operations of each scheme during the financial year and economic scenario;
- (ii) Brief statement on the following aspects, namely:-
 - (a) Liabilities and responsibilities of the pension fund;
 - (b) Investment objective of each scheme;
 - (c) Basis and policy of investments underlying the scheme;
 - (d) Valuation of scheme investments
 - (e) Comments on the performance of the scheme with comparison with specified benchmark.
- (iii) Abridged version of Balance Sheet and Revenue account as per para VII of the Schedule
- (iv) Directors’ Responsibility Statement as per Para VI in relation to Scheme
- (v) Consolidated financial statements of all schemes managed by the pension fund
- (vi) Accounting Policies as per Para IX of this schedule
- (vii) Balance Sheet and Revenue Account in accordance with Paras II and III of this Schedule;
- (viii) Auditor’s Report in accordance with Para IV of this Schedule;
- (ix) Statement giving “key statistics” of schemes in accordance with Para V of this Schedule

(x) Notes to account as per Para VIII of this schedule.

(II). Contents of Balance Sheet:

- (i) The Balance Sheet shall give scheme wise particulars of its assets and liabilities. It shall also disclose, inter alia, accounting policies, valuation of investments and other important areas.
- (ii) The balance-sheet shall disclose under each type of investment, the aggregate carrying value and market value of assets below investment grade.
- (iii) The Balance Sheet shall disclose the per unit Net Asset Value (NAV) as at the end of the accounting year.
- (iv) The Balance Sheet shall give against each item, the corresponding figures as at the end of the preceding financial year.
- (v) The notes to the Balance Sheet shall disclose the following information regarding investments:-
- all investments shall be grouped under the major classification given in the balance sheet;
 - under each major classification, the total value of investments falling under each major industry group (which constitutes not less than 5 per cent. of the total investment in the major classification) shall be disclosed together with the percentage thereof in relation to the total investment within the classification;
 - a statement of investments showing the name of the companies in which investments have been made and the aggregate investments made in the associates and group companies of the pension fund, if any;
 - if brokerage, custodial fees or any other charges for services are paid to or payable to any entity in which the PF or its major shareholders have a substantial interest (being not less than 10% of the paid up capital), the amounts debited to the Revenue Account or amounts treated as cost of investments in respect of such services shall be separately disclosed together with details of the interest of the pension fund or its major shareholders;
 - the basis on which fees have been paid to pension fund and the computation thereof;
 - aggregate value of purchases and sales of investments excluding temporary deployment of funds during the year and expressed as a percentage of average daily net asset value;
 - movement in unit capital shall be stated;
 - the total income of the scheme shall include unrealised depreciation or appreciation on investments.
- (vi) Provisions on account of investments classified as default shall not be included under provisions on the liability side of the balance sheet, but shall be shown as a deduction from the aggregate value of its relevant asset.
- (vii) Disclosure shall be made of all contingent liabilities showing separately uncalled liability on partly paid shares and other commitments with specifying details.

Major Headings of Balance Sheet

ASSETS SIDE OF THE BALANCE SHEET:

The assets of the balance sheet shall be grouped into the following categories:

- Investments
- Deposits
- Other Current Assets

Schedule of the Categories:

I. INVESTMENTS

The following types of investments shall be separately disclosed (only those heads under which investments is permitted to be kept):

- Equity shares;
- Preference shares;
- Debentures and Bonds;
- Central and State Government Securities including bonds guaranteed/fully serviced by Government;

- (v) Commercial Paper;
- (vi) Treasury Bills
- (vii) AIF's (Category I and Category II Only)/REITs/INVITs/Asset Backed Securities/ mortgage based securities
- (viii) Basel III Tier I Bonds
- (ix) Others-Mutual Funds, TREPS etc.

II. DEPOSITS

- (i) Deposits with scheduled banks;
- (ii) Others

III. OTHER CURRENT ASSETS

- (i) Balances with banks in current/savings account;
- (ii) Cash in hand;
- (iii) Sundry Debtors;
- (iv) Contracts for sale of investments;
- (v) Outstanding and accrued income;
- (vi) Advance, Deposits etc.;
- (vii) Shares/debentures/ others application money pending allotment (for this age wise disclosure is to be made along with security name);
- (viii) Dividend Receivable
- (ix) Redemption receivable on investments classified as default
Less: Provision for assets investments classified as default
- (x) Others.

LIABILITIES SIDE OF THE BALANCE SHEET

The Liabilities side of the balance sheet shall be divided into the following groups

- Unit Capital;
- Reserves & Surplus;
- Current Liabilities and Provisions.

Schedule of the Categories:

I. Unit Capital

- (i) Initial capital;
- (ii) Unit capital (including number of units and face value per unit).

II. Reserves & surplus

- (i) Unit Premium Reserve;
- (ii) General reserve;
- (iii) Any other reserve (disclosing its nature) including Unrealised Appreciation account;

Opening balance, transfer from/to reserve, closing balance shall be separately disclosed for each above type of reserve.

III. Current liabilities and provisions

Distinguishing between the following current liabilities and provisions

Current liabilities:

- (i) Sundry creditors;
- (ii) Contract for purchase of investments;

Provisions (Indicate nature):

- (i) Redemption payable
- (ii) TDS payable

IV. Contingent Liabilities

- (i) Commitments
- (ii) Others (specify details)

(III). Contents of Revenue Account:

- (i) The Revenue Account shall give scheme wise particulars of the income, expenditure and surplus for each scheme.
- (ii) If profit on sale of investments shown in the Revenue Account includes profit/loss on inter-scheme transfer of investments within the same pension fund the aggregate of such profit recognised as realised, shall be disclosed separately without being clubbed with the profit/loss on sale of investments to third parties.
- (iii) The Revenue Account shall indicate the appropriation of surplus/deficit by way of transfer to reserves on a net basis.
- (iv) The following disclosures shall also be made in the Revenue Account:
 - (a) provision for aggregate value on account of investments classified as default, outstanding and accrued income;
 - (b) custodian, NPS Trust, Trustee Bank and central recordkeeping agency charges
 - (c) depository and settlement charges, stamp duty and brokerage on equity transactions
 - (d) Total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets, calculated on a daily basis.

Major Headings of Revenue Account

Income:

- Dividend;
- Interest;
- Profit on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);
- Profit on inter-scheme transfer/sale of investments;
- Unrealized gain on appreciation in investments
- Other income (indicating nature).

Expenses and losses:

- Unrealized losses in value of investments
- Provision for investments classified as default;
- Loss on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);
- Loss on inter-scheme transfer/sale of investments;
- Investment Management fees;
- NPS Trust reimbursement of expenses;
- Depository and Settlement charges;
- Brokerage on equity transactions
- Stamp Duty
- Custodian fees;
- Central recordkeeping agency fees
- Less: Amount recovered by sale of units for central recordkeeping agency charges
- Others

Note :

Accounting policy in respect of recognition of revenue and income from investments (including dividend and interest) shall be disclosed by way of a note.

(IV). Scheme Auditor's Report

- (i) The auditor shall state whether;-
- (a) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit;
 - (b) the Balance Sheet and the Revenue Account are in agreement with the books of account of the scheme;
 - (c) whether proper books of accounts of each scheme have been maintained;
 - (d) all transaction expenses in excess of the limits contractually agreed to/approved by Authority are borne by the pension fund and are not charged to the Net Asset Value;
 - (e) The Balance Sheet and Revenue Account of the Scheme dealt with by this Report comply with these regulations and the Accounting Standards notified under the Companies Act, to the extent made applicable by the regulations.
- (ii) The auditor shall give his opinion as to whether;-
- (a) the Balance Sheet gives a true and fair view of the scheme wise state of affairs of NPS/APY at the end of the financial year,
 - (b) the Revenue Account gives a true and fair view of the scheme wise surplus/deficit of NPS/APY for the financial year.
- (iii) The Auditor shall further certify that;-
- (a) Investments have been valued in accordance with the guidelines issued by the Authority;
 - (b) Transaction and claims/ fee raised by different entities are in accordance with the guidelines issued by the Authority;
- (iv) The Auditor shall also submit a separate report called as "NPS Scheme - Detailed Audit Report" (to be referred as NPS-DAR) along with the scheme audit report / scheme accounts for a particular financial year. A copy of the said Audit Report should be given to the Board of Pension Fund. The contents of the report would be based on the format prescribed by Authority/NPS Trust. The Board of Directors of Pension Fund should submit a Compliance Report within two months of the receipt of Detailed Audit Report. NPS-DAR will be a combined report for all the NPS Schemes. The Auditor will give a certificate in the following format;

To

The Board of Trustees

National Pension System Trust

.....

New Delhi

We have conducted the Detailed Audit of under mentioned schemes of National Pension System of (The 'Pension Fund') for the Period/Year as per the check list provided to us by the National Pension System Trust and hereby submit the NPS-DAR for your perusal.

Schemes	Year/Period
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March

Scheme Name	From 1st April ...to 31st March
Scheme Name	From 1st April ...to 31st March

We report as under:

1. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit.
2. In our opinion, proper books of accounts has been maintained for each scheme.
3. Our procedures covered all the areas listed in the recommended NPS-DAR Checklist (Enclosed, duly signed by us under reference to this certificate.)
4. Further, all deviations with regards to applicable accounting principles, regulations and guidelines for preparation of accounts are being disclosed in the attached report.

Based on our test checking of the records maintained by the pension fund, we certify as under:

1. The system, procedures and safeguards followed by the pension fund are adequate.
2. The terms and conditions of registration of Pension Fund regulations, Investment Management Agreement signed with the National Pension System Trust are being complied with by the Pension Fund.
3. Directions issued by the Authority from time to time or any other statutory requirements have been followed.
4. Affairs of the pension fund are being conducted in a manner which is in the interest of the subscribers.
5. All transaction expenses in excess of the limits contractually agreed to / approve by Authority are borne by the pension fund and are not charged to NAV.

Yours truly

For

..... (Name of Firm)

Chartered Accountants

Firm Regn No...

..... (Name of Partner)

Partner

Membership No:

Place:

Date:

(V). Key Statistics

Name of the Pension Fund :

Key Statistics for the year / period ended _____

Particulars	Scheme A		Scheme B	
	As at	As at	As at	As at
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. NAV per unit (Rs.):				
Open				
High				
Low				
End				
2. Closing Assets Under Management (Rs. in Lakh)				

End				
Average Assets Under Management (AAuM)				
3. Gross income as % of AAuM				
4. Expense Ratio:				
a. Total Expense as % of AAuM (scheme wise)				
b. Management Fee as % of AAuM (Scheme wise)				
5. Net Income as a percentage of AAuM				
6. Portfolio turnover ratio				
7. Returns: (%)				
a. Last One Year				
Benchmark				
b. Since Inception (provide scheme launch date)				
Benchmark				
c. Compounded Annual Growth Rate (%)				
Last 3 years				
Last 5 years				
Last 10 years				
1. Gross income = amount against (A) in the Revenue account i.e. Income.				
2. Net income = amount against (C) in the Revenue account i.e. NET REALISED GAINS / (LOSSES) FOR THE YEAR / PERIOD				
3. Portfolio Turnover = Lower of sales or purchase (excluding temporary deployment) divided by the Average AUM for the year/period.				
4. AAUM=Average daily net assets				
5 'Compounded Annual Growth Rate is to be calculated based on the following formula: $\% = (1 + \text{cumulative return})^{i/n} - 1$ (where n = 365/no. of days and i is the period)				
6. NAV= (Market value of Investments held by scheme + value of current assets - value of current liability and provisions, if any) / (no. of units at the valuation date (before creation/ redemption of units)				
7. Benchmark = Scheme Benchmark Returns as disclosed by NPS Trust for scheme performance evaluation				

(VI). Directors Responsibility Statement

The Directors, Chief Operating Officer/Head of Operations of the Pension Fund shall certify that:-

1. The Scheme Financial Statements have been prepared in accordance with the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 and guidelines issued by the Authority
2. In the preparation of the annual scheme accounts, the applicable accounting standards have been followed to the extent made applicable by the regulations along with proper explanations relating to material departures;
3. The accounting policies have been selected/applied consistently and have made judgments that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Schemes managed by the PF for the financial year ended 31st March, 20XX and of the surplus/deficit of the Schemes for that period;
4. Proper and sufficient care has been taken to maintain the accounting records in accordance with the provisions of the PFRDA Act, 2013 and underlying regulations / guidelines for safeguarding the assets of the Scheme, subscribers and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
5. Internal financial controls have been laid down and are being followed for the Scheme, operations and that such internal controls are adequate and are operating effectively; and

6. Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

(VII). ABRIDGED BALANCE SHEET AND REVENUE ACCOUNT FORMAT**ABRIDGED BALANCE SHEET**

Name of the Pension Fund :

Key Statistics for the year / period ended _____

Particulars	Scheme A		Scheme B	
	As at	As at	As at	As at
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
LIABILITIES				
1 Unit Capital				
2 Reserves & Surplus				
2.1 Unit Premium Reserve				
2.2 General Reserve				
2.3 Unrealised Appreciation Reserve				
2.4 Others				
3 Current Liabilities & Provisions				
3.1 Provision for investments classified as default				
3.2 Other Current Liabilities & Provisions				
TOTAL				
ASSETS				
1 Investments				
1.1 Equity				
1.2 Debenture/Bonds				
1.3 Alternate Investments				
1.4 Government Securities				
1.5 Money Market				
1.6 Others				
1.7 Total Investments				
2 Other Current Assets				
2.1 Cash & Bank Balance				
2.2 Others				

	TOTAL			

ABRIDGED REVENUE ACCOUNT

Name of the Pension Fund :

Key Statistics for the year / period ended _____

		Scheme A		Scheme B	
		As at	As at	As at	As at
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1	INCOME				
1.1	Dividend				
1.2	Interest				
1.3	Realised Gains on inter-scheme transfers				
1.4	Realised Gains on sale / redemption of investments				
1.5	Other Income				
	Sub-Total (A)				
2	EXPENSES				
2.1	Realised Losses on Inter scheme transfer				
2.2	Realised Losses on sale / redemption of investments				
2.3	Investment Management fees				
2.4	Custodian fees				
2.5	NPS Trust expense reimbursement				
2.6	Other operating expenses				
	Sub-Total (B)				
3	NET REALISED GAINS/(LOSSES) FOR THE PERIOD (A -B = C)				
4	Net Change in Unrealised Depreciation/ appreciation in value of investments				
5	NET SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE PERIOD				

Notes to Accounts as specified below

Guidance Note

1. Provide details of significant items indicating nature & corresponding amount in Notes to accounts.
2. Unrealised Depreciation/Appreciation to be computed by each asset category and shown on an aggregated basis. This should take into account change in unrealised depreciation/ appreciation for the year/period and write back of unrealised depreciation/ appreciation provided in the previous year end.

(VIII). NOTES TO ACCOUNTS - ANNEXURE TO THE BALANCE SHEET AND REVENUE ACCOUNT

Name of the scheme :

Notes to Accounts - Annexure to the Abridged Balance Sheet and Revenue Account for the Year / Period ended

Sl	Particulars
1	Investments:-
	1.1. Note confirming that Investments of the Schemes are in the name of the National Pension System Trust.
	1.2. Open Position of derivatives (outstanding market value & % to Net Assets as of the Year end).
	1.3. Investments in Associates and Group Companies (provide details of issuer, nature of investments, amount, aggregate investments under all scheme managed)
	1.4. Open position of Securities Borrowed and / or Lend by the scheme.
	1.5. Details of investments rated as below investment grade and/or classified as default (provide details of issuer, nature of investment, purchase cost, value of investment (after haircut), amount of provision held, amount of haircut applied on accrued interest, amount received (interest & principal) for above investment)
	1.6. Aggregate Unrealised Gain / Loss as at the end of the Financial Year / Period and percentage to net assets.
	1.7. Aggregate Value of Purchase and Sale (excluding temporary deployment of funds) with Percentage to average assets under management.
2	Details of Transaction with Associates and Group Companies (provide details of name of associate, nature of payment and amount)
3	Unit Capital movement during the year ended / period ended. Scheme wise details of movement in units - opening, subscription, redemption, closing. Indicate scheme wise face value of units.
4	Prior Year Comparison - a suitable statement that prior year figures have been reclassified whenever necessary to conform to current years' presentation.
5	Contingent Liability. Provide details of nature and amount.
<u>Guidance Note:</u>	
Provide corresponding previous year/period figures for all the above disclosures.	

(IX). Accounting Policies

The Accounting Policies related to schemes has to be complied by pension fund for preparation of financial statements and calculation of Net Assets Value:

1. The Pension Fund should maintain their scheme-wise books of account on an accrual basis. Investment should be stated as per the valuation guidelines issued by the Authority, at the Balance Sheet date or date of computation of asset value or Net Asset Value (NAV).
2. Investments should be tallied with the custodian records and units should be tallied with Central Recordkeeping Agency records on a daily basis.
3. All allowable expenses and incomes accrued upto the valuation date, which are considered for computation of asset value/ NAV, major expenses like investment management fees and other allowable periodic expenses like custodian charges, NPS Trust expenses reimbursement etc, should be accrued on a day-to-day basis. The period to be considered for accrual will be the financial year.
4. Dividend income earned by a scheme should be recognised, not on the date the dividend is declared, but on the date the share is quoted on an ex-dividend basis.
5. In respect of all interest-bearing investments, income must be accrued on a day to day basis. Therefore, when such investments are purchased, interest paid for the period from the last interest due date upto the date of purchase must not be treated as a cost of purchase but must be debited to Interest Recoverable Account. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date upto the date of sale must not be treated as an addition to sale value but must be credited to Interest Recoverable Account.
6. In determining the holding cost of investments and the gains or loss on sale of investments, the "weighted average cost" method must be followed.
7. Transactions for purchase or sale of investments should be recognised as of the trade date and not as of the settlement date, so that the effect of all investments traded during a financial year are recorded and reflected in the financial statements for that year. Where investment transactions take place outside the stock market, for example, acquisitions through private placement or purchases or sales through private treaty, the transaction should be recorded in the event of a purchase, as of the date on which the scheme obtains an

enforceable obligation to pay the price or, in the event of a sale, when the scheme obtains an enforceable right to collect the proceeds of sale or an enforceable obligation to deliver the instruments sold.

8. Bonus shares to which the scheme becomes entitled should be recognised only when the original shares on which the bonus entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-bonus basis. Similarly, rights entitlements should be recognized only when the original shares on which the right entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-rights basis.
9. The cost of investment shall include only the stamp charges and permissible equity brokerage thereon. For privately placed debt instruments, any front-end discount offered to the pension fund shall be excluded from the cost of the investment
10. All taxes which are leviable and actually paid shall be charged to the NAV of the Fund as permitted by the Authority and be borne by the Subscriber. Any subsequent refund on this account, if any, should be added to the scheme/fund as income.
11. The Investment Management Fee is inclusive of all transaction related charges except brokerage on equity transactions as permitted and custodian charges alongwith applicable taxes thereon. The Investment Management Fee is calculated on the daily assets managed by the pension fund. Fees payable to the Authority shall not be charged to the scheme
12. In respect of investments below investment grade and investments classified as default, recognition, classification and provisioning should be in compliance with the guidelines issued by the Authority.”

XLIV. In Schedule VIII (Banking and Central Recordkeeping Agreements) of the principal regulations, the symbols, words and numerals, “See regulation 10(1)(c)” shall be substituted with “see regulation 10(1)(d)”.

XLV. After Part II in Schedule X (Investment and Risk Management Committee) of the principal regulations, the following shall be inserted, namely:

“Part III

Audit Committee as per the provisions of Companies Act, 2013

Part IV

Nomination and remuneration committee as per the provisions of Companies Act, 2013”

XLVI. After Schedule XI (Investment management agreement format) of the principal regulations, a new schedule XII (Illustration for calculation of scheme net asset value (NAV)) shall be inserted as follows:

“SCHEDULE XII

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND)
REGULATIONS, 2015**

[see regulation 18(2)]

ILLUSTRATION FOR CALCULATION OF SCHEME NET ASSET VALUE (NAV)

NAV Calculation formula

$$NAV \text{ per unit} = \frac{\text{Net Assets}}{\text{Outstanding units}}$$

1. **Net Assets:** Market Value of investments held in scheme + current assets -current liability – contributions receipts for the day
2. **Current Liabilities:** It includes payables towards allowable charges, redemption payable, funds to be paid due to purchase of securities.
3. **Current Assets:** Funds to be received due to sale of securities, accrued interest, dividends, bank account balance (including contribution receipts for the day) etc.
4. **Market Value of Investment held by scheme:** Value of the investments held in scheme derived as per the valuation guidelines issued by the Authority.
5. **Outstanding Units:** Number of outstanding units at the valuation date (closing unit of previous ‘business day’).
6. **Contributions Receipts for the Day:** The inflows (contributions) received for the day is not used for calculating the net assets for the day as the units corresponding to such inflows are pending creation.

Example on NAV Calculation (illustrative purpose)

Particulars	Net assets before units' creation (Rs)	Movement (Rs)	Net assets post units' creation (Rs)
Market Value of Investments*	1,00,00,000		1,00,00,000
Current Assets*	5,00,000		5,00,000
Contributions Receipts for the Day	(1,00,000)	1,00,000	-
Total Assets*	1,04,00,000		1,05,00,000
Current Liability*	(1,000)		(1,000)
Net Assets	1,03,99,000		1,04,99,000
Outstanding units	9,99,000	9606.6930	10,08,607.6930
Net asset value per unit	10.4094		10.4094

* value of investments remaining unchanged during the day.”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./750/2023-24]

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 19th May, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 168, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 8th September, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 343, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 5th February, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 48, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 14th May, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 169, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 1st April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 139, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 25th May, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 202 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Sixth Amendment) Regulations, 2021 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 15th July, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 286.